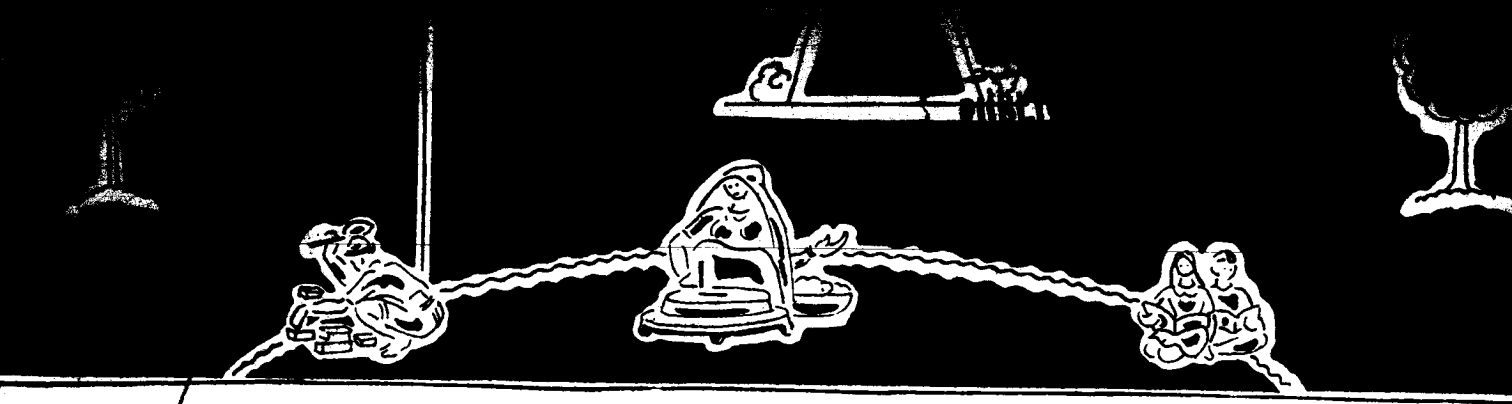

कुरुक्षेत्र

15 MAR 1957

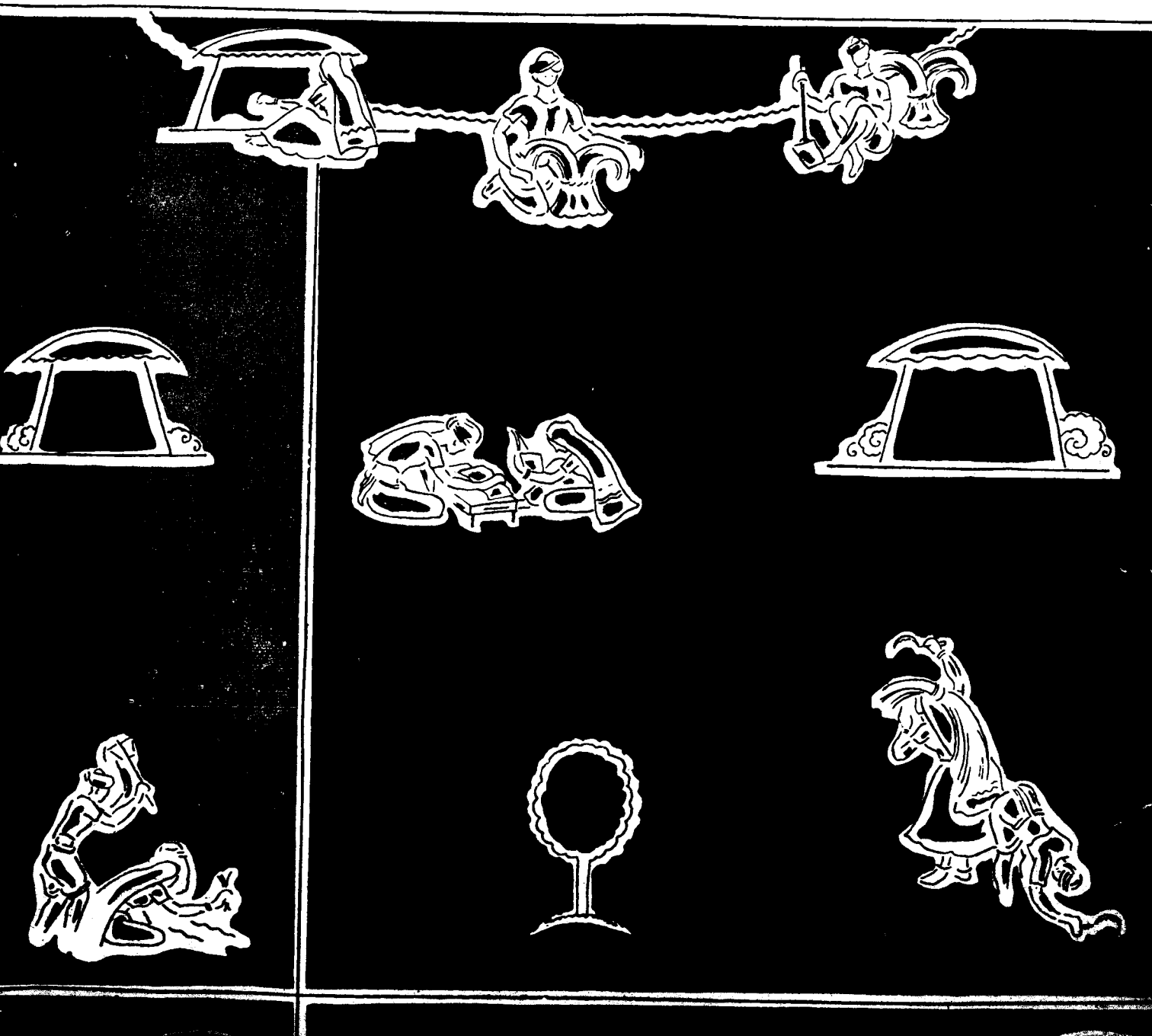

ग्रामसेवक

सामुदायिक विकास-योजना प्रशासन द्वारा प्रकाशित 'ग्रामसेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १।) : एक प्रति =)

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजन कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४) : एक प्रति ।=)

कुरुक्षेत्र

सचित्र मासिक पत्र जिसमें देश के सामुदायिक विकास कार्यक्रम-सम्बन्धी समाचार तथा लेख प्रकाशित होते हैं।

वार्षिक मूल्य २॥) : एक प्रति ।)

प्रसारिका

(सचित्र त्रैमासिक)

'प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का त्रैमासिक संग्रह है। सुन्दर गेट-अप की इस सचित्र पत्रिका का मूल्य ८ आना है। वार्षिक मूल्य २)

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६) : एक प्रति ॥)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] जनवरी १९५७ [अंक ३

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : सुशील सरकार]		
अक्षर ज्ञान के पश्चात्	सावित्री निगम	३
लाडनूं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	....	६
मन्त्री का दौरा	...	८
गाँवों की ओर [कविता]	हरनारायणप्रसाद सक्सेना 'हरि'	१०
दूसरी योजना के कृषि लक्ष्य	...	११
हमारे नए सिक्के	पीताम्बर पन्त	१३
चित्रावली	...	१५-१८
विकास की कहानियाँ	...	१९
राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	भगवन्तसिंह	२१
गाँवों में ऊँची शिक्षा की संस्थाएं	...	२३
एक बाल सभा	हरिदास दीक्षित	२४
शराब की लत	...	२५
आदर्श ग्राम	यदुनन्दनप्रसाद सिन्हा	२७
अमूल्य रहस्य	एम० माधव राव	२८
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : अशोक

मुख्य कार्यालय
ग्रोल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २॥)
एक प्रति का मूल्य ।)

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन
दिल्ली—८ को लिखें

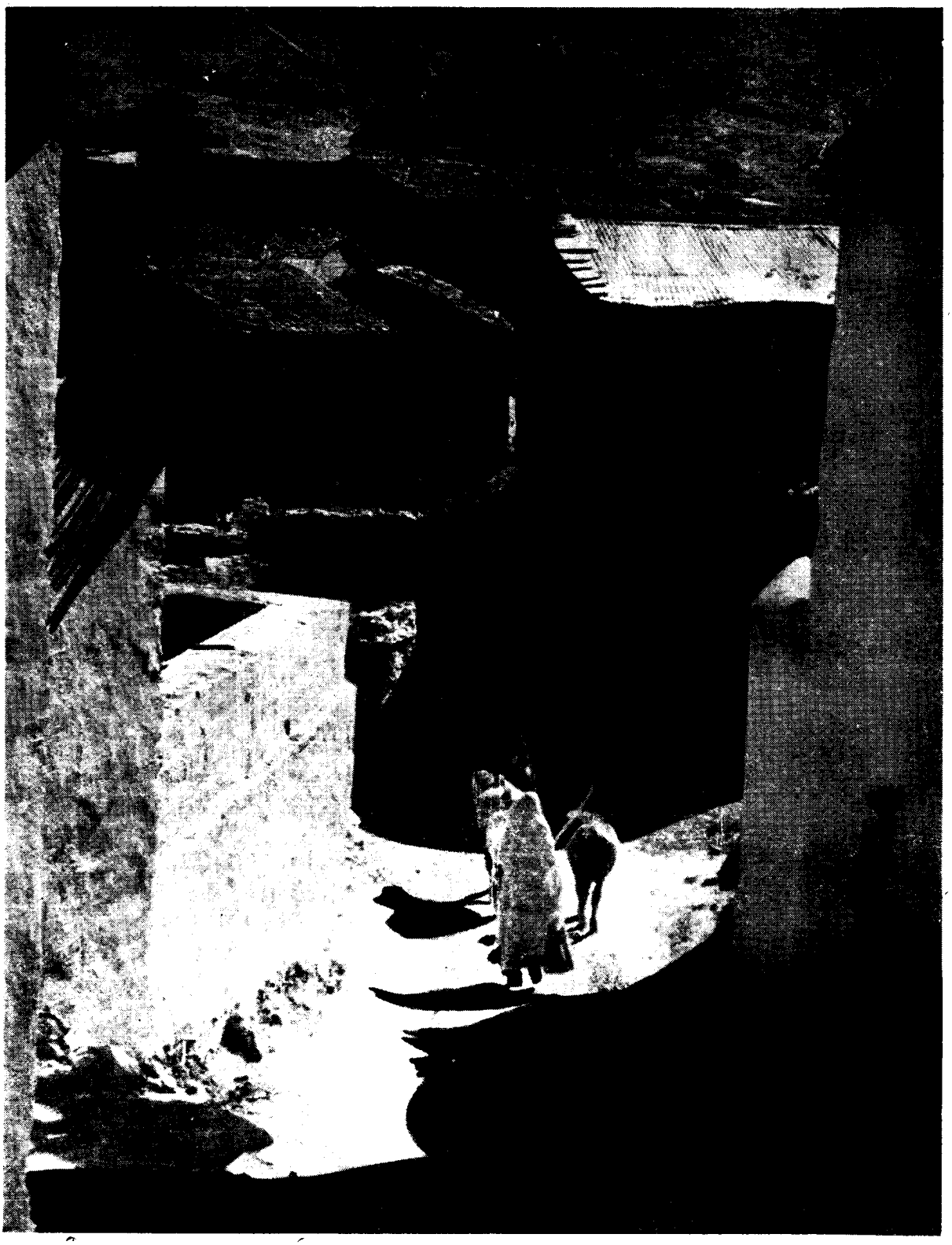

गाँव की गली

[फोटो : ए० के० सैयद]

अक्षर ज्ञान के पश्चात्

सावित्री निगम

जिन गाँवों में कार्यकर्ता कार्य प्रारम्भ करने से पहले ग्रामीणों से खूब मेल-जोल बढ़ा कर उनमें घुलमिल जाते हैं और उनका विश्वास प्राप्त कर लेते हैं, उनमें साक्षरता का कार्यक्रम खूब सफल होता है। अगर कार्यक्रम संगीत और कीर्तन से प्रारम्भ किया जाए तो फिर कार्यकर्ताओं को घर-घर घूमने की उतनी ज़रूरत भी नहीं रहती। साक्षरता दिवस मनाने के पहले यह अच्छा होता है कि लगातार दो-तीन दिन शाम को विभिन्न मुहल्लों में सभाएँ की जाएँ और रामायण तथा आल्हा भी गाकर सुनायाजाए। अक्षर ज्ञान कराने के लिए यदि पहले से वातावरण तैयार हो तो दो-तीन सप्ताह में गाँव के ५०० व्यक्तियों को प्रारम्भिक अक्षर ज्ञान के लिए तैयार किया जा सकता है। तीन से छः महीने के प्रचार में ५०० व्यक्तियों के गाँव में अधिकांश व्यक्तियों को साक्षर बनाया जा सकता है। पर अक्षर ज्ञान के पश्चात् जो कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनसे कभी-कभी तो ऐसी निराशा होने लगती है कि कार्यकर्त्ता समझने हैं कि उनका श्रम व्यर्थ गया, उन्होंने नाहक रात-दिन परिश्रम किया। सब से पहली कठिनाई यह आती है कि जो लोग रामायण या आल्हा के शौकीन नहीं होते, उन्हें अपना या अपने बच्चों का नाम लिखना सीखने के बाद साक्षरता में कोई दिलचस्पी ही नहीं रहती। और जब वे लिखना-पढ़ना बिलकुल छोड़ देते हैं, तो पिछला पढ़ा-लिखा भी भूल जाते हैं। फिर एक बार पिछला पढ़ा-लिखा भूलने पर उनके मन में यह धारणा बन जाती है कि उनको याद तो रहेगा ही नहीं, श्रम करना बेकार है। इसलिए कार्यकर्ताओं को निम्नलिखित बातें ध्यान में रख कर साक्षरता या अक्षर ज्ञान का आन्दोलन चलाना चाहिए—

इस वृद्धावस्था में पढ़ने की लगन अनुकरणीय है

१. अपने कार्यक्रम का उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान कराने तक ही सीमित न रखें,

२. अक्षर ज्ञान के पश्चात् का कार्यक्रम पहले ही से बना लें,

३. अगर ग्रामवासियों को किसी उत्सव में पुरस्कार दिलवाना है तो कम से कम साक्षरता आन्दोलन के १० महीने बाद ही ऐसा आयोजन करें, और

४. साक्षर बननेवाले हर व्यक्ति की रुचि के अनुसार कार्यक्रम में गुंजायश रखें।

वास्तव में समाज शिक्षा का असली प्रारम्भ तो साक्षरता अथवा अक्षर ज्ञान के बाद ही होता है। उस समय तक किसी भी व्यक्ति को अक्षर ज्ञान के लिए पुरस्कृत या सम्मानित करना उस व्यक्ति को धोखे में डालना है।

हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास—इसमें सन्देह नहीं है कि हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेषता अवश्य होती है, भले ही वह अज्ञान और अशिक्षा के दबाव से विकसित न हो सके। और यह विशेषता पसंदगी, अभिरुचि या किसी विशेष जिज्ञासा का आधार भी अवश्य ही लेती है। जिस प्रकार बच्चे के पास विभिन्न रंग के गत्तों को फैला कर हम उससे कहते हैं जो सब से अच्छे रंग का गत्ता लगे, उठा लो और ज्यों ही बच्चे ने एक रंग का गत्ता उठाया, हम कहते हैं इसे लाल रंग पसंद है। उसी प्रकार हमें लोगों को अक्षर ज्ञान कराते ही उनसे पूछना चाहिए कि उन्हें कौन-सा विषय पसन्द है, किस पर वे कुछ शब्द बनाएँगे। हर व्यक्ति की पसन्द का एक चार्ट बना कर प्रतिदिन उसमें नोट करके कार्यकर्त्ता आसानी से नौसिखियों की अभिरुचि का पता लगा सकता है। सब से अधिक आवश्यकता इस बात की है पहले से ही कार्यकर्त्ता उनसे विभिन्न विषयों पर बातचीत करके उनकी पसन्दगी को एक निर्देश भी दें, जैसे पत्रव्यवहार से लाभ, पत्रमित्रों का आन्दोलन (पेन फ्रेन्डशिप), पत्रों द्वारा सरकार तक अपनी शिकायतें पहुँचाना, पत्र द्वारा दूर-दूर से चीज़ें मँगाना आदि बातें। जिनकी संगीत में रुचि है, उन्हें रामायण तथा अन्य तरह-तरह के गीतों के बारे में जानकारी करानी चाहिए। जिन्हें खबरों का शौक हो उन्हें यह समझाना चाहिए कि पढ़ना सीख कर वे किस प्रकार देश-विदेश की खबरें अखबारों में पढ़ सकते हैं। जिन्हें खेती-बाड़ी, पशुपालन में दिलचस्पी है उन्हें ऐसे देशों और पुस्तकों के बारे में बता कर जो पशुपालन-व्यवसाय में सर्वप्रथम हैं, जिन्होंने दुग्ध-व्यवसाय का खूब विकास किया है उनमें जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए।

कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें सेहत बनाने का शौक होता है। उन्हें यह बताना आवश्यक है कि शिक्षा के अभाव में अच्छी तन्दुरुस्ती रखना भी नामुमकिन है, पढ़-लिख कर यह भी जाना जा सकता है किस वस्तु में कितनी केलोरीज़ हैं, हम क्या खाएँ, क्या न खाएँ; कौन-सी कसरत कितनी करें और वह क्या लाभ पहुँचाएगी।

कुछ ऐसे भी व्यक्ति मिलते हैं जो रीति-रिवाजों, त्यौहारों और उत्सवों में दिलचस्पी रखते हैं। उनको यह बताना चाहिए कि पढ़ने के बाद यह भी जाना जा सकता है कि कौन-सा त्यौहार क्यों और किस लिए तथा कैसे मनाया जाए। त्यौहारों को ऐसे मनाया जाए कि परस्पर प्रेम बढ़े, आनन्द मिले और कम खर्च हो। इस तरह कार्यकर्त्ता अपनी चतुराई से गाँव के लोगों को शिक्षा और अच्छे जीवन के लिए अत्यन्त उत्सुक भी बना सकता है।

जब व्यक्ति विशेष की रुचि का पता लग जाए तो उसे इस प्रकार सहायता देना प्रारम्भ करना चाहिए कि वह धीरे-धीरे उन्हीं विषयों पर छोटी पुस्तकें प्राप्त कर सके और उन्हीं विषयों पर लिखना-पढ़ना सिखाना भी शुरू कर देना चाहिए। नकल करने के लिए भी ऐसी उपयोगी चीज़ें दी जाएँ जैसे पशुपालन तथा स्वास्थ्य विषयक पुस्तकें, जिससे लिखते-लिखते ज्ञान भी बढ़े और रुचि भी पैदा हो।

वादविवाद—बातचीत करने के लिए विषय तैयार करने से जानकारी बढ़ती है।

अपनी-अपनी दिलचस्पी के विषय की वार्ता तैयार करवा करके उसे सभा में सुनाने से एक नेतृत्व भी तैयार होता है और जानकारी भी बढ़ती है।

सामाजिक कुरीतियाँ—छोटी-छोटी वार्ताएँ तैयार करवाना और उन्हें लिखवाना-पढ़वाना चाहिए।

अक्सर गाँव के लोग भी ऐसी कुरीतियों के शिकार रहते हैं जैसे छूत-छात, दहेज़, त्यौहारों में व्यर्थ का खर्च, शराब, तम्बाकू आदि

नाटक और प्रहसन—सामाजिक कुरीतियों पर यदि छोटे-छोटे नाटक तैयार किए जाएँ तो अपना-अपना पार्ट लिखने से भी काफी लिखने का काफ़ी अभ्यास हो जाता है।

जो कार्यकर्त्ता अक्षर ज्ञान कराने के बाद उस गाँव से सम्बन्ध तोड़ देते हैं या सीखा-सिखाया भूल जाने देते हैं, वे लाभ के बजाय बहुत बड़ी हानि पहुँचाते हैं। यदि नियमपूर्वक सप्ताह में दो बार या तीन बार कार्यकर्त्ता हर व्यक्ति तक न भी पहुँच सके, जिन्हें पढ़ना सिखाया है, तो कम से कम महीने में दो-तीन बार तो अवश्य ही पढ़ाने और सिखाने पहुँचना चाहिए। अक्षर ज्ञान के पश्चात् ही असली साक्षरता का प्रारम्भ होता है। यह बात प्रौढ़ शिक्षा और समाज शिक्षा के कार्यकर्त्ता को कभी न भूलनी चाहिए कि अक्षर ज्ञान द्वारा उन सारे प्रभावों को एक नया रूप देना होता है जो एक प्रौढ़ जीवन में उस समय तक पड़े होते हैं। कभी-कभी परीक्षाएँ भी बड़ी दिलचस्पी उत्पन्न करने का साधन बन जाती हैं।

जितना भी पढ़ाया जाए, उसमें परीक्षा लेने के लिए एक तिथि नियत कर दी जानी चाहिए। यदि प्रमाणपत्र उन व्यक्तियों से दिलाए जाएँ जो गाँव के नम्बरदारी के मामलों का फैसला करते हैं या विकास अधिकारी हैं, तो परीक्षाओं का महत्व बढ़

काम करते हुए अक्षर ज्ञान

जाएगा। परीक्षा ऐसे विषयों में ली जानी चाहिए जिनका ग्रामीण जन-जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध हो। अधिकतर विषय ऐसे हों, जिनमें गाँववालों की स्वाभाविक जानकारी होती है, जैसे खेती-बाड़ी, पशुपालन, तरकारियों का उत्पादन, खाद तैयार करना, मलेरिया से रक्षा, ग्राम की सफाई आदि। विषय ऐसे होने चाहिएँ जो कठिन प्रतीत न हो और भाषा की सही परीक्षा हो सके। फिर अंक देने के लिए भी एक नियम बना लेना चाहिए। हर ग्राम के लोगों को समान आधार पर अंक दिए जाएँ।

चलती-फिरती लाइब्रेरी—इस प्रकार की लाइब्रेरी गाँव में बड़ी दिलचस्पी उत्पन्न कर देती है। २०० किताबों का एक बक्स बड़ी आसानी से एक गाँव से दूसरे गाँव को भेजा जा सकता है। यदि पुस्तक के हर पढ़ने वाले से नाम लिखने का एक पैसा लेने का नियम बना दिया जाए तो बार-बार कार्ड भी नहीं बनाना पड़ता और हर गाँव से जो आय होती है उससे दो तीन नई पुस्तकें भी आ जाती हैं। लाइब्रेरी से नए पढ़नेवालों को किताबें चुनने का मौका भी मिलता है और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है।

प्रदर्शनी और प्रतियोगिता—प्रदर्शनी में सुलेख प्रतियोगिता रखने से भी नए पढ़ने वालों का उत्साह बढ़ता है। इन प्रतियोगिताओं में एक आना, दो आना फीस भी रखी जा सकती है और उसी से आसानी से प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के सुलेखों को पुरस्कार भी दिए जा सकते हैं। इनसे गाँव में बड़ा उत्साह और कौतूहल उत्पन्न हो जाता है और अन्य लोगों की भी लिखने-पढ़ने में दिलचस्पी उत्पन्न होती है। अक्षर ज्ञान के पश्चात् ही समाज शिक्षा का कार्यक्रम प्रारम्भ होता है जो गाँव की उन्नति के विविध सूत्रों की बुनियाद को सुदृढ़ बनाता है।

★

लाडनूं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् हमारे राष्ट्र के कर्णधारों ने जनता के सहयोग को अपनाते हुए देश के लाखों ग्रामों और उन में विकास करने वाले करोड़ों ग्रामवासियों के लिए पंचवर्षीय-योजनाएँ बनाईं। पहली पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है। उसमें हमें आशातीत सफलता मिली। दूसरी पंचवर्षीय योजना आरम्भ हो चुकी है। इन योजनाओं में निहित लक्ष्य यही है कि हमारी जनता का सर्वांगीण विकास हो। इन पंचवर्षीय योजनाओं में सामुदायिक विकास का महत्वपूर्ण स्थान है। ग्रामवासियों को इन योजनाओं से विशेष रूप से लाभान्वित किया जा रहा है। एक ओर कृषि, पशुओं के नस्ल सुधार, उद्योग एवं वाणिज्य व्यवसाय के स्वस्थ विकास के साथ-साथ ग्रामीणों के रहन-सहन के स्तर को, स्वास्थ्य सुविधाओं, जलव्यवस्था, प्रकाशव्यवस्था, हाटव्यवस्था व अन्य सुविधाओं में सुधार करके ऊंचा उठाया जा रहा है। दूसरी ओर उनके मानसिक स्तर को भी उन्नत बनाने के उपाय किए जा रहे हैं ताकि वे स्वयं ही अपनी उन्नति के लिए कटिबद्ध हो जाएँ और इस दिशा में भरसक प्रयत्न करें।

२ अक्टूबर, १९५५ को जिला कलक्टर द्वारा लाडनूं विस्तार सेवा खण्ड का उद्घाटन किया गया था। तब से अप्रैल १९५६ तक लाडनूं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड सरकार के पूर्व निश्चयानुसार विस्तार कार्य के लिए यहाँ की जनता से सम्पर्क बढ़ा कर विस्तार कार्य के लिये उसे तैयार करता रहा। वस्तुतः राष्ट्रीय विस्तार कार्य १ अप्रैल १९५६ से ही प्रारम्भ किया गया।

खण्ड का बजट

खण्ड के लिए निम्नलिखित स्टाफ की स्वीकृति दी गई :

१. **एक खण्ड विकास अधिकारी, यह कार्य तहसीलदार को सौंपा गया,**
२. **एक कृषि विस्तार अधिकारी,**
३. **दो समाज शिक्षा संगठनकर्ता,**
४. **एक सहायक पंचायत निरीक्षक,**
५. **एक भेड़ तथा ऊन इन्सट्रक्टर,**
६. **एक ओवरसीयर,**
७. **आठ ग्राम सेवक,**
८. **एक पशु चिकित्सक तथा एक कम्पाऊण्डर,**
९. **कार्यालय के लिए एक एकाउण्टेण्ट,**
१०. **तीन निम्न श्रेणी क्लर्क, तथा**
११. **छः चपरासी।**

परन्तु यह खेद का विषय है कि इस राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड को अभी तक पूरा स्टाफ़ नहीं मिला है। पूर्व विस्तार कार्य के लिए शुरू में दो क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं की सहायता से खण्ड विकास अधिकारी मार्च १९५६ के अन्त तक कार्य करते रहे। तत्पश्चात् १ अप्रैल से खण्ड का काम सुचारु रूप से आरम्भ किया गया और विभिन्न क्षेत्रों में आठ ग्राम सेवकों की नियुक्ति की गई। कृषि विस्तार अधिकारी मई के प्रथम सप्ताह में आए और कृषि के विस्तार का कार्य सुचारु रूप से संतोषजनक गति से होने लगा। जून में कार्यालय को स्टाफ दिया गया। अगस्त के अन्तिम सप्ताह में सहायक पंचायत निरीक्षक को भेजा गया। समाज शिक्षा संगठनकर्ता, पशु चिकित्सक, भेड़ तथा ऊन इन्स्ट्रक्टर एवं ओवरसीयर तो तभी तक इस खण्ड नहीं आए हैं।

विकास खण्ड की विभिन्न प्रवृत्तियाँ

इस विकास खण्ड में कृषि के विकास कार्य के लिए अधिक गुंजायश नहीं है। यहाँ पर सिंचाई के साधन अधिक नहीं हैं और न जुटाए ही जा सकते हैं। कुएँ से सिंचाई होना यहाँ पर बहुत ही कठिन है। पानी २००-२५० फुट से भी अधिक नीचे मिलता है और वह भी बहुत खारी। कहीं-कहीं तो इस जल को पीते ही पशु काल कवलित हो जाते हैं। वैसे यहाँ पर कृषि योग्य भूमि की कमी नहीं है। बेचारे कृषक को वर्षा पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यदि वर्षा अच्छी हो जाती है तो लोग बाजरा, ग्वार और मोठ की खेती कर लेते हैं, नहीं तो आकाश की ओर देखते-देखते ही उनका समय निकल जाता है। जीविका उपार्जन का दूसरा साधन भेड़ों तथा बैलों के पोषण तथा विक्रय का व्यवसाय है।

फिर भी कृषि में सुधार के लिए १६ स्थानों पर प्रदर्शन किए गए और ६७२ वृक्ष लगाए गए।

पशु सुधार

पशुओं के खुर पकना, मुँह से लार टपकना तथा और कई बीमारियाँ यहाँ पर अक्सर फैलती रहती हैं। निम्बी, बांकलिया तथा सिवाना के क्षेत्रों में २,५०० पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया।

जनस्वास्थ्य एवं सफाई व्यवस्था

ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना तथा रोग ग्रस्त हो जाने पर उनके उपचार का पूरा प्रबन्ध करना गाँव के विकास का प्रमुख अंग है। इसी आशय से मलेरिया, अन्य ज्वर व कई प्रकार की बीमारियों के हो जाने पर १६३ व्यक्तियों को दवाइयाँ दी

गई। सांवराद, रेरमालसी, बालसमन्द, रताऊ की ढाणी, रायधना, बाँकलिया, बालू तथा रोड़ू की ढाणी में पीने के पानी का एक-एक कुआँ बनाया गया। लाल दवा के प्रयोग से सांवराद, खाटू तथा बाँकलिया क्षेत्र में अनेक कुओं के जल को कीटाणु-रहित किया गया। ६० गाँवों की सफ़ाई कराई गई।

शिक्षा

गाँववालों के बौद्धिक स्तर को उच्च करना भी बहुत ज़रूरी है। उनके पिछड़े रहने का प्रमुख कारण शिक्षा का अभाव ही है। जब तक ग्रामीणों को भली भांति शिक्षित नहीं किया जाएगा और उन्हें सरकारी मशीनरी से भली भाँति परिचित नहीं कराया जाएगा, तब तक गाँव का सर्वांगीण विकास होना स्वप्न मात्र ही रहेगा। इसी लक्ष्य को ध्यान में रख कर प्रौढ़ शिक्षा के १५ केन्द्र चालू किए गए तथा शीघ्र ही १२ प्रौढ़ कक्षाएँ चालू की जाएँगी। बाँकलिया, मानू, तांवरी, सुनारी, खामियाद तथा बड़ा-बरा गाँवों में प्राइमरी स्कूल खोले गए। निम्बी जोधां के प्राइमरी स्कूल को मिडिल स्कूल बना दिया गया। छोटी खाटू के मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया।

स्वास्थ्य एवं मनोरंजन केन्द्र

व्यस्त जीवन के लिए मनोरंजन इतना ही आवश्यक है जितना कि भूखे को भोजन। इसी आशय से १० मनोरंजन केन्द्र खोले जा चुके हैं। इस क्षेत्र में ४० सामुदायिक सभाओं तथा मेलों का आयोजन भी कराया जा चुका है। इनमें लगभग ५,००० व्यक्तियों ने भाग लिया। १० विकास मण्डल भी बनाए गए हैं जिनके परामर्श से ही स्थानीय विकास कार्य किए जा रहे हैं। इनके कुल २० सदस्य हैं।

यातायात

गाँवों के लगभग सभी मार्गों को ठीक कराया गया तथा गड्ढों आदि को पाट दिया गया। टेढ़े-मेढ़े, ऊँचे-नीचे मार्गों को ठीक किया गया। ८½ मील लम्बी सड़क का निर्माण कराया गया।

लाडनूं खण्ड पर प्रकृति का महान् प्रकोप है। यहाँ पर जल बहुत दुष्प्राप्य है। इसीलिए ब्लास्टिंग द्वारा पानी निकालने का कार्य किया गया। अनेक कुओं की खुदाई की गई व पानी निकाला गया। यह विशेषरूप से उल्लेखनीय है कि जिला नागौर में 'ब्लास्टिंग' सब से अधिक लाडनूं क्षेत्र में ही हुआ है।

सहकारिता

ग्रामों में सहकारी समितियों का संगठन तथा नई समितियाँ चालू करना भी राष्ट्रीय विस्तार कार्य का प्रमुख अंग है। इस ओर गाँववालों को प्रोत्साहित किया गया तथा २३ सहकारी समितियाँ खोली गईं।

लाडनूं राष्ट्रीय विस्तार क्षेत्र में टी० बी० के टीके लगाने का कार्य लगभग दो मास तक होता रहा। इस कार्य में ग्राम पंचायतों ने टी० बी० के टीका लगाने वाले कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग दिया। खण्ड विकास अधिकारी भी स्वयं कई स्थानों पर डाक्टर के साथ गए और कार्य बड़ी सुगमता से पूरा किया गया।

श्रमदान पखवाड़ा

श्रमदान तो हमारी विकास-योजनाओं का प्राण है। निर्धन ग्रामीणों के पास यदि चन्दा देने के लिए पर्याप्त धन नहीं है तो क्या हुआ, उनकी भुजाओं में श्रम करने की यथेष्ट शक्ति विद्यमान है; इसमें किंचित भी सन्देह नहीं। और हमें हर्ष है कि हमारी योजनाएँ इसी श्रम शक्ति के बूते पर सफल हो रही हैं। राज्य सरकार ने इस वर्ष २६ मई से श्रमदान पखवाड़ा मनाने का निश्चय किया। इस खण्ड में श्रमदान कराने के लिए ग्राम सेवकों तथा पंचायतों ने सरपंचों के परामर्श से कार्यों की सूचियाँ तैयार कीं तथा अनुमानतः दो लाख साठ हजार की लागत का श्रमदान कराने का निश्चय किया गया। श्रमदान में किए जाने वाले कार्यों में कुओं, स्कूल भवनों, पंचायतघरों, पुस्तकालयों तथा मार्गों, कुण्डों, नालियों व होजों तथा तालाबों का निर्माण सम्मिलित है। गाँव की सफाई, मार्गों की दुरुस्ती, खाद के गड्ढों का खोदना, तथा जनमार्गों की मरम्मत भी श्रमदान द्वारा की गई।

परम हर्ष की बात तो यह है कि दो लाख साठ हजार के अनुमान से भी बढ़ कर, साढ़े तीन लाख रुपए की लागत का कार्य किया गया।

बचत पखवाड़ा

लाडनूं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में किए गए कार्यों में अल्प बचत कार्य का भी बड़ा महत्व है। समस्त नागौर ज़िले से अधिक लाडनूं खण्ड में अल्प बचत योजना को सफलता मिली। यहाँ पर ७० हज़ार के राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र खरीदे गए। कुल आँकड़ा २ लाख ५० हज़ार का है।

इस राष्ट्रीय विस्तार खण्ड में १५ अगस्त के महान् राष्ट्रीय

[शेष पृष्ठ २२ पर]

मन्त्री का दौरा

मैं खामोश बैठा सोच रहा था। सौ गाँवों का मुख्य अफ़सर होते हुए भी मेरा दिल बैठा जा रहा था। कस्बे में बैठ कर चैन की बंसी बजानेवाले विभागीय अधिकारियों की उदासीनता ने मुझे परेशान कर दिया था।

एक गाँव से दूसरे गाँव जानेवाली नई सड़क की खुदाई के काम को वर्षा ने बिलकुल ठप कर दिया था। सड़के के किनारे कंकड़ियों के ढेर लगे हुए थे। टैक्नीकल सलाहकारों को मैंने कई पत्र लिखे, बार-बार याद दिलाया और व्यक्तिगत रूप से भी कई बार बातचीत की, लेकिन उनके कान पर जूँ तक न रेंगी। विस्तार कर्मचारियों ने ग्रामवासियों से कड़कती धूप में श्रमदान करवाया था। अब जब भी उनका गाँव के नेताओं से सामना होता, उनका सिर शर्म से झुक जाता था। कम से कम आधा दर्जन अन्य काम भी इसी तरह खटाई में पड़े हुए थे क्योंकि उनके लिए भी अन्य विभागों का सहयोग आवश्यक था। मैं बार-बार इन विभागों के अधिकारियों से मिलता लेकिन कोई न कोई 'बहाना' तैयार मिलता और हर बार मुझे खाली हाथों लौटना पड़ता। मैं चाहता था कि मेरे पास कोई ऐसी जादूई छड़ी होती जिसको घुमा कर मैं ज़िला मुख्य कार्यालय वालों को अपनी योजनाओं का महत्व समझा सकता और उनका ध्यान इस ओर आकर्षित कर पाता।

अगले दिन भोर के समय दरवाज़े पर किसी की दस्तक की आवाज़ से मेरी नींद खुली। ज़िला आयोजन अधिकारी ने मुझे सन्देश भिजवाया था कि मैं एक दम उनसे मिलूँ। पहली गाड़ी में सवार हो मैं उनके दफ्तर की ओर चल पड़ा। ज़िला आयोजन अधिकारी ने मुझे बताया—'परसों आयोजन और स्वास्थ्य मन्त्री आ रहे हैं और वह आपके खण्ड का दौरा करेंगे। मुझे इस सम्बन्ध में ज़िलाधीश से मिलने जाना है, आप भी मेरे साथ चलें।' जीप में सवार हो हम लोग ज़िलाधीश के बंगले पर पहुँचे।

ज़िलाधीश ने मेरी तरफ़ देखते हुए कहा—"मन्त्री महोदय के दौरे के सिलसिले में आपको अच्छी से अच्छी व्यवस्था करनी है। खण्ड के मुख्य कार्यालय को जाने वाली सड़क तब तक पक्की कर दी जाए। राष्ट्रीय विस्तार सेवा की इमारत के टूटे-फूटे भाग की मरम्मत कर दी जाए। आस-पास के गाँवों में अच्छी तरह साफ़-सुथरा बना दिया जाए। मन्त्री महोदय ग्रामवासियों और सरपंचों, पंचों और प्रधानों की एक सभा में भाषण देंगे। इस सभा में काफ़ी श्रोता होने चाहिएँ। जहाँ भी तुम्हें कुछ कठिनाई हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जाओ और अभी से काम शुरू कर दो।"

एक छोटे से गाँव में केवल दो दिन के भीतर इतना कार्य करना अत्यधिक कठिन था। लेकिन जो जादूई छड़ी मैं चाहता था, वह अब मेरे हाथ में थी।

जब मैं ज़िला योजना कार्यालय में पहुँचा तो वहाँ का नक्शा ही कुछ और था। सारे कर्मचारियों ने मुझे पूरा सहयोग दिया और बड़ी नम्रता से बोले। पहले 'ज़िले के लिए महत्वपूर्ण मामलों' में वे इतने अधिक व्यस्त रहते थे कि घण्टों इन्तज़ार करवाने के बाद वे मेरी बात सुनते थे। आज वे बड़ी मुस्तैदी से मेरा काम कर रहे थे। संबद्ध विभागों के एग्ज़ैक्टिव इंजीनियरों, ज़िला स्वास्थ्य अधिकारियों, ज़िला बोर्ड के प्रधानों, ज़िला सूचना अधिकारियों आदि को निम्नलिखित पत्र एकदम भिजवा दिया गया—

महोदय,

आयोजन और स्वास्थ्य मन्त्री २८-८-५५ को राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड ईंटियाठोक के दौरे पर आ रहे हैं। ज़िलाधीश के आदेशानुसार में आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कल शाम तक आप..... कार्य अवश्य पूरा कर लें।

एक घण्टे बाद जब मैं अपने गाँव लौट रहा था तो मुझे बाढ़ विभाग का ओवरसीयर मिला। उसके साथ ठेकेदार था और उसने मुझसे सड़क बनाने के बारे में आदेश मांगे। इन सज्जन को मैं पिछले कई महीनों से ढूँढ़ने का असफल प्रयास कर रहा था। इसके बाद सैनिटरी इन्स्पैक्टर मिला जो खण्ड में नालियों आदि की व्यवस्था करने जा रहा था। उसे मेरे आदेशानुसार ज़िला बोर्ड की सड़क की मरम्मत करने की आज्ञा दी गई थी। सहकारिता विभाग ने भी पूरा-पूरा सहयोग दिया।

अब बिजली भी हमें काफ़ी मात्रा में मिल गई थी। पहले हमने राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यालय के लिए दो-चार बत्तियाँ मांगी थीं लेकिन हमारी मांग रद्द कर दी गई थी।

सब विभागों के सहयोग और तालमेल के फलस्वरूप हमने ऐसी कठिनाइयों को भी पार कर लिया जो पहले लगभग असम्भव प्रतीत होती थीं।

मन्त्री महोदय का दौरा काफ़ी सफल रहा।

दो रोज़ में आधा मील लम्बी सड़क पर कंकर बिछा कर सड़क को पक्का कर दिया गया। गाँव के बाज़ार में ज़िला बोर्ड की सड़क की दो फर्लांग तक मरम्मत की गई। सड़क को कई स्थानों पर ग्रामवासियों ने बाढ़ का पानी निकालने के लिए काट दिया था। उन स्थानों पर पाइप की पुलियाँ बना दी गईं। हमारे कार्यालय के सामने एक बरामदे की छत पर खपरैल डाले गए। समीप के तीन गाँवों को अच्छी तरह साफ़ कर दिया गया था। कई स्थानों, पर कीड़े मारने के लिए दवाइयाँ छिड़की गईं और काफी लोगों को टीके लगाए गए। दीवारों पर स्वास्थ्य सम्बन्धी नारे लिख दिए गए।

स्कूल के अध्यापकों ने, जो पहले हम से हमेशा दूर ही रहते थे, हमें पूरा सहयोग दिया। सैंकड़ों छात्र हमारे विकास मार्चिंग गीत का अभ्यास करते रहे। मन्त्री महोदय के आने पर प्राइमरी स्कूल की एक दर्जन छात्राओं ने सुन्दर लोक-नृत्य और समूह-गान प्रस्तुत किया। गाँव के आल्हा दल और भजन मण्डली ने भी अपनी सेवाएँ पेश कीं।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी सैंकड़ों चार्ट और पोस्टर जो महीनों से बन्द पड़े थे, अब सामुदायिक केन्द्रों, पंचायत-घरों, बीज केन्द्रों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों की शोभा बढ़ा रहे थे।

दो हज़ार से अधिक प्रधान, सरपंच, पंच और ग्रामवासी समारोह में भाग लेने आए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की कार्रवाईयों से काफी प्रभावित हुए। दो रोज़ में इतना विकास कार्य हुआ जितना तीन महीनों में नहीं हो पाया था। यह असम्भव काम विभिन्न विभागों के आपसी सहयोग के कारण ही सम्भव हो सका। मानवी सहयोग के साथ-साथ इस अवसर पर प्रकृति ने भी पूरा सहयोग दिया। खण्ड के मुख्य कार्यालय से तीन मील तक वर्षा हुई, परन्तु वह क्षेत्र सूखा ही रहा। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर मेरी आँखों में खुशी के आँसू छल-छला आए।

इन सब घटनाओं ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं सोचने लगा कि इस अवसर पर जैसा विभागीय सहयोग देखने में आया, अगर उसका अंशमात्र भी सरकारी मशीनरी का अभिन्न अंग बन जाए तो हमारी प्रगति की रफ्तार काफी तेज़ हो जाए। दिन भर के कठिन परिश्रम के पश्चात् जब मैं बिस्तर पर लेटा, तो यही ख्याल मेरे दिमाग़ में चक्कर काटने लगा।

ईंटियाठोक विस्तार सेवा खण्ड का श्रीगणेश २६, जनवरी १९५४ को हुआ था। पूर्ण विभागीय सहयोग प्राप्त होने पर दो रोज़ में हमारे खण्ड में जो काम हुआ, उसकी तुलना दो साल के काम से करना स्वाभाविक ही था।

सिंचाई के क्षेत्र में अब तक यहाँ काफ़ी काम हुआ है। ३१ बड़े सरकारी ट्यूबैल बनाए गए। १२० कुएँ पक्के बनाए गए या उनकी मरम्मत की गई। क्षेत्र में ४२,५०० एकड़ भूमि पर खेती होती है; अब तक इसमें से ३३,००० एकड़ भूमि की अतिरिक्त सिंचाई की व्यवस्था की जा चुकी है।

आरम्भ में गाँववाले उदासीन अथवा संदिग्ध थे, परन्तु जिन व्यक्तियों ने हमारी सुविधाओं से लाभ उठाया, उनको देख कर अब अन्य लोगों की मनोवृत्ति में भी फर्क पड़ रहा है। परिवहन के क्षेत्र में भी हम काफी सफल रहे। ४० मील लम्बी नई सड़क बनाई गई। ग्रामवासियों ने स्वयं ११ मील लम्बी सड़क बनाई या मरम्मत की। सहकारी आन्दोलन के क्षेत्र में भी काफी तरक्की हुई। जब खण्ड शुरू हुआ तो सारे क्षेत्र में एक बीज स्टोर और २० सहकारी समितियाँ थीं। एक नया बीज स्टोर खोला गया, ४५ नई सहकारी समितियों की स्थापना की गई, ३० और समितियाँ खोलने की योजना है। बीज और उर्वरक के लिए एक-एक पक्का गोदाम बनाया गया। एक सहकारी भट्टा भी चलाया जा रहा है और ईंटियाठोक में ही चर्क सीमेंट फैक्टरी की एजेंसी खोल दी गई है। भट्टे और सीमेंट डिपो में कुल ७० परिवारों को रोज़गार मिला हुआ है। बिजली प्राप्त हो जाने पर कुछ कुटीर उद्योगों की स्थापना की जा सकती है।

सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार, खेती के उत्तम तरीकों के प्रचार और बेहतर किस्म के बीजों के कारण कृषि-उपज में काफी वृद्धि हुई है। जापानी ढंग से उपजाई हुई धान की औसत उपज ३५ मन प्रति एकड़ थी, जब कि पुरानी प्रणाली से उपज ६ मन प्रति एकड़ थी। इसी प्रकार गेहूँ की औसत उपज भी ६ मन प्रति एकड़ से बढ़कर ३५ मन प्रति एकड़ हो गई है। किसानों के खेतों में प्रदर्शन किए गए जिनके फलस्वरूप किसानों में सुधरे हुए तरीकों से खेती करने का प्रचलन बढ़ रहा है।

अब गन्ने की ६० प्रतिशत, गेहूँ की ८० प्रतिशत और धान की ६० प्रतिशत खेती सुधरे हुए बीजों से होती है।

पशुपालन के क्षेत्र में काफ़ी उल्लेखनीय काम हुआ है। खण्ड के मुख्य कार्यालय में पशुओं की एक डिस्पैन्सरी खोल दी गई है। २७,८०० पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। अच्छी नस्ल के दुधारी मवेशियों की वृद्धि में सबसे बड़ी रुकावट है पर्याप्त गोचर भूमि और चारे का अभाव। ज़मींदारी उन्मूलन के पश्चात् बेकार भूमि पर भी खेती शुरू कर दी गई है।

स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में प्रगति सर्वांगीण नहीं है। पीने के पानी के काफी कुएँ या तो नए बनाए जा चुके हैं या पुराने कुओं की मरम्मत की जा चुकी है। कई हैण्ड पम्प भी लगाए गए हैं तथा इनकी और भी मांग है।

[शेष पृष्ठ १४ पर]

गाँवों की ओर

हरनारायण प्रसाद सक्सेना 'हरि'

माटी का तो उपकार करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

जब गाँव शहर बन जाएगा
कोना-कोना मुस्काएगा
दो क्षण भी अपने दे दो तुम
फिर गाँव स्वर्ग बन जाएगा
गाँवों का नवनिर्माण करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

कुछ फर्ज़ हमारा है बाकी
जो बुला रहा है बार-बार
सपने साकार बनाने को
देता आमन्त्रण बार-बार
तन-मन से कुछ तो काम करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

माटी पर पलने वालों तुम
माटी का तो उपकार करो
सहयोग नया अपना देकर
कोना-कोना गुलज़ार करो
मिल-जुल कर सब उद्धार करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

चपला-सी चमक दिखा सकते
धरती को स्वर्ग बना सकते
फिर देर, अरे, करते क्यों हो
जब तारे भी तुम ला सकते
निःस्वार्थ भाव से काम करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

खेतों की उपज बढ़ाने में
हम अपना हाथ न खींचेंगे
फूलों की खुशबू पाने को
हम बाग-खेत मिल सींचेंगे
जन-हित का कुछ तो काम करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

अब गूँज रहा है गाँवों में
देखो 'पंचायत' का नारा
अपना झगड़ा सुलझाने को
निर्णय मानो इसका प्यारा
मिल-जुल कर कुछ तो आज करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

तुम देखो गाँवों को जा कर
जिसको हर मानव प्यारा है
ईमान जहाँ के मानव को
प्राणों से बढ़ कर प्यारा है
अपने कर्मों से तृप्त करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

हर सकता सब का क्लेश यही
फिर क्यों अब हम भी देर करें
क्यों भूल रहा मानव यह तू
भारत गाँवों का देश, अरे,
कुछ करने का संकल्प करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

जब गाँव हमारे जीवन के
सुख-दुख का भाग्य-विधाता है
फिर मानव कुछ भी सेवा कर
क्यों फूला नहीं समाता है
आओ, अब भी कुछ काम करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

कुछ नहीं असम्भव है जग में
सम्भव-सम्भव 'हरि' दीख पड़े
यदि भोला मानव भी डट कर
कुछ करने का संकल्प करे
दो क्षण की भी मत देर करो
आओ, गाँवों से प्यार करो !

★

दूसरी योजना के कृषि लक्ष्य

मई १९५६ में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने जब दूसरी पंचवर्षीय योजना के मसौदे पर विचार किया था तो उस समय उसका विचार था कि योजना में कृषि उत्पादन के अस्थायी रूप से जो लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें वृद्धि करना आवश्यक है। राज्य सरकारों की सलाह से इन लक्ष्यों को बढ़ाने के बारे में केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय और योजना आयोग पिछले कुछ दिन से विचार करते रहे हैं। अब यह अवस्था आ गई है, जब पूरी स्थिति सामने रखी जा सकती है।

जून, १९५६ में और पिछले दो महीनों में हुई वार्ताओं के परिणामस्वरूप अस्थायी रूप से अतिरिक्त कृषि उत्पादन के जो संशोधित पंचवर्षीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, वे नीचे तालिका में दिए जाते हैं। उनके साथ ही वे लक्ष्य भी दिए गए हैं जो योजना के अन्तर्गत पहले निश्चित किए गए थे।

जिन्स	इकाई	१९५५-५६ की अनुमानित उपज (योजना में वर्णित)	योजना में उपज के अस्थायी लक्ष्य	उपज के संशोधित लक्ष्य	उपज के सूचक अंक में वृद्धि का प्रतिशत	
					योजना के अनसार	संशोधित
अनाज	लाख टन	६५०	७५०	८०४	१६	२४.६
तेलहन	लाख टन	५५	७०	७६	२७	३७.०
गन्ना (गुड़)	लाख टन	५८	७१	७८	२२	३३.६
कपास	लाख गाँठें	४२	५५	६५	३१	५५.६
पटसन	लाख गाँठें	४०	५०	५५	४३	५८.१
अन्य फसलें					६	२२.४
सभी जिन्स					१७	२७.८

अगर संशोधित लक्ष्यों की पूर्ति हो जाए तो कुल मिलाकर कृषि उपज में लगभग २८ प्रतिशत की वृद्धि होगी—अनाज की उपज में करीब २५ प्रतिशत और व्यापारिक फसलों की उपज में लगभग ३४ प्रतिशत। योजना के पहले सुझावों के अनुसार कृषि-वस्तुओं की उपज में १७.४ प्रतिशत, अनाज में १६ प्रतिशत और व्यापारिक फसलों में २१ प्रतिशत वृद्धि का अनुमान था।

यह अनुभव किया गया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत औद्योगीकरण के कार्यक्रम में भारी उद्योगों के विकास पर जो ज़ोर दिया गया है, उसके कारण यह भी आवश्यक है कि कृषि उपज भी बढ़ाई जाए। अगर देश में उपज पर्याप्त नहीं होगी तो कीमतें बढ़ जाएँगी। यह बहुत ज़रूरी है कि अगले दो या तीन वर्षों में कृषि उपज इतनी बढ़ा दी जाए कि उससे वर्तमान कमी दूर हो जाए, बढ़ती हुई जनसंख्या की माँग पूरी हो सके और निर्यात के लिए भी कुछ बच सके।

अगले १० वर्षों में कृषि-उपज को दुगना करने के कार्यक्रम से ही राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकेगी, किसानों की आय में पर्याप्त वृद्धि सम्भव हो सकेगी और किसानों तथा दूसरे लोगों की आमदनियों में इस समय जो अन्तर है, वह कम किया जा सकेगा।

प्रत्येक राज्य की कृषि-योजना पर विचार करते समय इस बात का खास ध्यान रखा गया कि अच्छे बीजों का इस्तेमाल बढ़ाने, उर्वरकों का उपयोग बढ़ाने, सिंचाई, भू-संरक्षण आदि के कार्यक्रम ऐसे ढंग से क्रियान्वित करने चाहिएँ कि थोड़े से थोड़े समय में उनसे

ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। यह तभी हो सकता है जब विभिन्न कार्यक्रम एक साथ और समन्वित रूप से देश भर में क्रियान्वित किए जाएँ और खास तौर से राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास योजनाओं के क्षेत्रों में उन पर विशेष ज़ोर दिया जाए।

अगले तीन से पाँच वर्षों तक प्रत्येक राज्य का प्रयत्न यह होगा कि प्रत्येक एकड़ ज़मीन में सुधरी किस्म के बीजों से फसलें बोई जाएँ और ही यह प्रयत्न भी किया जाएगा कि किसान खेती के अच्छे तरीके अपनाएँ।

इधर, विभिन्न राज्यों से जो बातचीत हुई है, उसके परिणाम-स्वरूप प्रत्येक राज्य ने अच्छे बीज उपजाने तथा अन्य उत्पादकों की सहायता से उनकी उपलब्धि बढ़ाने के लिए एक-एक कार्यक्रम बनाया है। प्रत्येक राष्ट्रीय विस्तार खण्ड के मुख्य केन्द्र में और प्रति २० गाँवों में एक के हिसाब से सहकारी बीज विक्रय केन्द्र खोलने की भी व्यवस्था की गई है। इन केन्द्रों में उर्वरक तथा खेती की ज़रूरत का अन्य साज़-सामान भी मिलेगा।

कार्यक्रमों पर विचार करते समय इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि खेतों में अगर रासायनिक उर्वरकों के साथ कूड़े की खाद और हरी खाद भी डाली जाए तो उससे उपज अच्छी होती है। इस लिए प्रत्येक राज्य अपने यहाँ बड़े पैमाने पर शहरों और देहातों के कूड़े से खाद तैयार करने की व्यवस्था करेगा।

सभी राष्ट्रीय विस्तार तथा सामुदायिक विकास-योजना खण्डों में खाद तैयार करने के काम के लिए विशेष कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निश्चय किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक ग्राम सेवक के इलाके के ५ से १० तक व्यक्तियों को यह काम सिखाने का भी विचार है। राज्यों की सलाह से केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय ने इस दिशा में ज़रूरी कार्रवाई शुरू कर दी है। कूड़े-करकट की खाद बनाने के सम्बन्ध में प्रारम्भिक योजनाएँ भी शुरू की जाएँगी।

योजना के प्रारम्भिक वर्षों में उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीय विस्तार-सेवा और सामुदायिक विकास-योजना खण्ड खोलने को प्राथमिकता दी जाएगी जहाँ कृषि-उपज में काफी वृद्धि दिखाई पड़ेगी। राष्ट्रीय विस्तार और सामुदायिक विकास-योजना के क्षेत्रों में कृषि-उपज बढ़ाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। ग्राम सेवक भी इसी दिशा में प्रयत्न करेंगे। प्रत्येक विस्तार कर्मचारी के अधीन गाँवों के लिए कृषि उपज बढ़ाने के निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाएँगे। विस्तार तथा विकास खण्डों के बजटों में कृषि-विकास के लिए जितने धन की व्यवस्था की गई है, उसे और किसी विकास कार्य में नहीं लगाया जाएगा। कृषि-कार्यक्रमों की सफलता की ज़िम्मेदारी राज्यों के कृषि विभागों पर होगी।

बातचीत में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि प्रत्येक गाँव में एक ग्राम-पंचायत और एक बहूद्देशीय सहकार समिति हो। इनको इस बात का ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक परिवार सुधरी किस्म के बीजों का उपयोग करे, खेतों में उर्वरक और खाद डाले और उसे अपने काम के लिए अल्पकालीन ऋण मिलने में कठिनाई न हो। यह अनुभव किया गया कि जब तक कम से कम समय में समाज के सभी वर्गों तक विस्तार आन्दोलन के लाभ नहीं पहुँचेंगे, तब तक इस आन्दोलन के उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी। पंचायतों और सहकार समितियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि किसानों को जिस कार्य के लिए ऋण मिलें, उसी पर वे खर्च किए जाएँ और ऋण ठीक समय पर चुकता हो जाएँ। सहकारी समिति में प्रत्येक परिवार की प्रतिनिधित्व होना चाहिए ताकि हर परिवार आवश्यकता पड़ने पर ऋण ले सके। यह कहा गया कि ग्रामीण संस्थाएँ जल्दी से जल्दी स्थापित की जानी चाहिएँ।

विचार-विमर्श के दौरान में इस बात पर भी ज़ोर दिया गया कि सिंचाई, बन्ध बाँधने आदि की छोटी-मोटी योजनाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा स्थानीय सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। कुछ राज्यों में सिंचाई के छोटे कार्यक्रम भी सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं और उनमें लोगों का बहुत कम सहयोग मिलता है। यह बहुत ज़रूरी है कि इस तरह के छोटे कार्यक्रम सभी राज्यों में स्थानीय सामुदायिक कार्यक्रमों के रूप में करवाए जाएँ, जिनमें धन और श्रम के रूप में पर्याप्त स्थानीय सहायता प्राप्त हो

कृषि-उपज के प्रस्तावित उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भरपूर प्रयत्न की आवश्यकता होगी और राज्यों के कृषि विभागों का विस्तार करना होगा। केन्द्रीय कृषि मन्त्रालय, सामुदायिक विकास मन्त्रालय और योजना-आयोग राज्यों में इन कार्यक्रमों की प्रगति से अवगत रहेंगे और लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। प्रति वर्ष इस प्रगति का बड़ी सावधानी से अध्ययन किया जाएगा और आवश्यकता के अनुसार कार्यक्रमों में घटा-बढ़ी भी की जा सकेगी। अगले एक या दो वर्षों के अनुभव से यह पता लग जाएगा कि और क्या कार्रवाई करना ज़रूरी है।

हमारा सबसे बड़ा दुश्मन गरीबी है। उस पर हर तरफ़ से फ़ौज़ी हमला होना चाहिए—खेतों से, खलिहानों से, कारखानों से, अधिक रोज़गार से, —हर तरफ़ से।

—जवाहरलाल नेहरू

हमारे नए सिक्के

पीताम्बर पन्त

देश की विनिमय प्रणाली को अधिक सरल बनाने के लिए भारत सरकार ने १ अप्रैल, १९५७ से नए दशमिक सिक्के चलाने का निश्चय किया है। सिक्कों की इस नई प्रणाली के अनुसार रुपया वैसा ही रहेगा जैसा अब है। इसके मूल्य में किसी प्रकार का अन्तर नहीं होगा और न इसका नाम ही बदला जाएगा। आधा रुपया और पाव रुपया भी चालू रहेगा। केवल पाव रुपए अर्थात् चवन्नी से कम के सिक्कों में परिवर्तन होगा। आजकल का पाव रुपया चार भागों में बँटा है, जिसके हर भाग को इकन्नी कहते हैं। इकन्नी के चौथे भाग वाले सिक्के का नाम इस समय पैसा है। वैसे पैसे का तिहाई भाग, पाई ही सबसे छोटा सिक्का है और यद्यपि हिसाब-किताब की दृष्टि से रुपया, आना, पाई व्यवहार में भी आते हैं लेकिन सिक्के के रूप में पाई को प्राप्त कर सकना दुर्लभ है, क्योंकि पाई इतने कम मूल्य का सिक्का हो चुकी है कि प्रति दिन के सौदों में इसका कोई विशेष काम नहीं पड़ता। इसलिए प्रचलित सिक्कों में पैसे को ही सब से छोटा सिक्का माना जाता है।

दशमलव प्रणाली के अनुसार जारी किए जाने वाले नए सिक्के ये होंगे: १ नया पैसा, २ नए पैसे, ५ नए पैसे, १० नए पैसे, २५ नए पैसे, ५० नए पैसे और १०० नए पैसे यानी १ रुपया। प्रत्येक नए सिक्के के ऊपर उसका मूल्य लिखा होगा और साथ ही यह भी कि वह रुपए का कौन-सा भाग है। इससे सिक्कों के मूल्य और उनका रुपए के साथ सम्बन्ध समझने में बहुत आसानी होगी।

बरसों से प्रचलित पुराने सिक्कों को देश के कोने-कोने से वापस लेकर उनके स्थान में नए सिक्के बहुत जल्दी नहीं चलाए जा सकते। लाखों, करोड़ों की संख्या में नए सिक्के बनाने पड़ेंगे और इसलिए नए सिक्कों को तैयार करने में दो-तीन साल का समय लग जाएगा। चूंकि नई प्रणाली में भी पाव रुपया, आधा रुपया और रुपए के मूल्य के सिक्के रहेंगे, इसलिए फिलहाल इन मूल्यों के प्रचलित सिक्के ही दशमिक प्रणाली के २५ नए पैसे, ५० नए पैसे और १०० नए पैसे का काम देते रहेंगे और इन नए सिक्कों की तुरन्त बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। आरम्भ में केवल १ नया पैसा, २ नए पैसे, ५ नए पैसे और १० नए पैसे के सिक्के चालू किए जाएँगे और जैसे-जैसे नए सिक्कों का प्रचलन होता जाएगा, वैसे-वैसे पुराने सिक्के खज़ानों और बैंकों की मदद से वापस ले लिए जाएँगे। इस प्रकार अनुमान है कि दो-तीन साल के अन्दर ही केवल दशमिक प्रणाली के सिक्के ही चलन में रह जाएँगे।

इस सम्बन्ध में हमें यह जान लेना चाहिए कि एक नए पैसे का मूल्य दो पाई के बराबर होगा या यूँ कहिए कि वर्तमान २ पैसे ३ नए पैसे के बराबर होंगे। वास्तव में एक नया पैसा २ पाई से सौ में चार भाग कम होगा और इसी तरह २ पैसे ३ नए पैसों से सौ में चार भाग अधिक होंगे। लेकिन यह अन्तर इतना थोड़ा है कि सौदे के दाम चुकाते समय यदि २ पैसे को ३ नए पैसे के बराबर मान लें तो नफ़ा नुकसान इतना कम रहेगा कि उसकी चिन्ता करना व्यर्थ है। इसी प्रकार १ आने को ६ नए पैसे और २ आनों को १२ नए पैसे मानने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सच है कि इकन्नी का मूल्य ६¼ और दुअन्नी का मूल्य १२½ नए पैसे होता है, लेकिन यदि हम नए पैसे के मूल्य, जो सिर्फ २ पाई है, पर गौर करें तो पता चलेगा कि चौथाई और आधा नया पैसा इतनी बड़ी दौलत नहीं है जिसके लिए हम सर खपाएँ। और अगर हमें पैसे के सही मूल्य का इतना ख्याल है कि हमें आधी पाई का भी त्याग अखरता है तो चार इकन्नी या दो दुअन्नी इकट्ठा करके चार आने या पाव रुपए के पूरे २५ नए पैसे हमें मिल सकते हैं। पाव रुपए से छोटे सिक्कों को जितनी जल्दी हम नए सिक्कों में बदलवा लेंगे, उतनी ही जल्दी दो तरह के सिक्कों के साथ-साथ प्रचलन से पैदा होने वाली दिक्कतें भी दूर हो जाएँगी।

आजकल १० सिगरेटों की एक डिबिया के दाम ११ आने बताए जाते हैं। लेकिन जब हमें १, २ या ३ सिगरेटें लेनी होती हैं तो ५ पैसे की एक सिगरेट के हिसाब से दाम चुकाना पड़ता है। एक सिगरेट का सही दाम ४.४ पैसा होता है और इसके लिए ५ पैसे देकर हम १४ फीसदी नुक्सान उठाते हैं, क्योंकि पैसा ही व्यावहारिक रूप से सबसे छोटा सिक्का है, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। परन्तु दशमिक प्रणाली के सिक्कों के चलन के बाद ११ आने वाली सिगरेट की डिबिया का दाम ७० नए पैसे रखा जाना स्वाभाविक होगा, क्योंकि एक सिगरेट का दाम ७ नए पैसे होगा और इस प्रकार फुटकर खरीद में हमें कुछ भी घाटा उठाना न पड़ेगा, जबकि पहले १४ फीसदी का नुक्सान उठाना पड़ता था। इस उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि छोटे-छोटे सौदों में होने वाले नुक्सान काफी घट जाएँगे।

दशमिक प्रणाली के सिक्कों के चालू होने पर हिसाब-किताब

रुपया-आना-पाई के स्थान पर रुपए और नए पैसों में रखा जाएगा। क्योंकि १०० नए पैसों का १ रुपया होगा, इसलिए गणित की दशमिक प्रणाली के अनुसार १ नया पैसा ·०१ (दशमलव शून्य एक रुपया), इस रूप में लिखा जाएगा। इसी प्रकार १० नए पैसे ·१० (दशमलव एक शून्य रुपए), ४ आने ६ पाई २५+३ अथवा २८ नये पैसे, इस प्रकार से लिखे जाएँगे। ३ रुपए ४ आने ६ पाई को ३.२८ रुपए लिखा जाएगा। इस प्रकार किसी भी जमा को तीन खण्डों—रुपया-आना-पाई में अलग-अलग लिखने के बजाय एक सरल दशलव संख्या के रूप में लिखा जा सकेगा। दशमलव बिन्दु की बाईं ओर की संख्या रुपया बताएगी और दाईं ओर की संख्या नए पैसे। इस प्रणाली में रुपए-पैसे सम्बन्धी सभी जोड़, घटा, गुणा, भाग अत्यन्त आसान हो जाएँगे। हिसाब-किताब की आसानी समझने के लिए कुछ उदाहरण देखिए —

१ मन अनाज का दाम यदि १२ रुपए ५ आने ६ पाई है, तो १० मन अनाज का क्या दाम होगा ?

इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए साधारण गुणन से काम नहीं चलेगा। पाई, आना, रुपया, हरेक को अलग-अलग भुगतना पड़ेगा, फिर पाइयों की संख्या को १२ से विभाजित कर आने बनाने होंगे और आनों को १६ से विभाजित कर रुपए। किन्तु यही प्रश्न दशमिक प्रणाली के सिक्कों के चलन के बाद इस प्रकार पूछा जाएगा : १ मन अनाज का दाम यदि १२ रुपए ३४ नए पैसे हैं तो १० मन अनाज की कीमत क्या होगी ? इस सवाल को जवाब पाने के लिए १२.३४ को १० से गुणन करने के निमित्त दशमलव बिन्दु को दाहिनी तरफ़ एक स्थान हटा देना काफ़ी है और हमें यह उत्तर मिलेगा : १२३.४ रुपए अथवा १२३ रुपए ४० नए पैसे। एक उदाहरण और लीजिए : यदि हमारा धोबी ६ रुपए सैंकड़े की दर से कपड़े धोता है तो ३६ कपड़ों की धुलाई क्या होगी ? दशमिक प्रणाली में ६ रुपए के सौ कपड़ों का अर्थ हुआ ६ नए पैसों का एक कपड़ा और ३६ कपड़ों की धुलाई हुई ३६ गुणा ६ नए पैसे अथवा ३२४ नए पैसे अर्थात् ३.२४ रुपए। इसी प्रश्न को यदि हम रुपए, आने, पाई में हल करने बैठें तो हमें स्वयं ही पता चल जाएगा कि दशमिक प्रणाली इतनी आसान क्यों मानी जाती है।

संसार के लगभग ७५ फी सदी देशों ने दशमिक प्रणाली के सिक्कों को अपनाया है। हमारे पड़ोसी देश बर्मा और श्रीलंका में भी सिक्कों की दशमिक प्रणाली प्रचलित है। भारत में भी सिक्कों की इस नई प्रणाली के चालू हो जाने से हमारे दैनिक जीवन की अनेक जटिलताएँ दूर हो जाएँगी एवं दिमाग़ को थका देने वाली हिसाब-किताब की बारीक पेचीदगियों से भी हमेशा के लिए हमारा पीछा छूट जाएगा।

—दिल्ली से प्रसारित

★

मन्त्री का दौरा—[पृष्ठ ६ का शेषांश]

इंटियाठोक में एक प्रसूति केन्द्र खोला गया गया है जो काफ़ी लोकप्रिय बन गया है। ग्राम सेवकों में दवाइयों और प्राथमिक सहायता के बक्से बाँट दिए हैं, जिनसे ग्रामवासियों को प्राथमिक सहायता तुरन्त मिल जाती है। दो चक्षु कल्याण कैम्प भी लगाए गए, जिनसे कई लोगों को लाभ पहुँचा। १२५ आपरेशन किए गए और ६५ लोगों की आँखों की रोशनी फिर से लौट आई। ऐसे कैम्पों को चलाए रखने की व्यवस्था की जा रही है।

सफ़ाई इत्यादि की दृष्टि से अधिक प्रगति नहीं हुई है। तंग मकान, पुरातन पन्था विचारों, स्त्रियों में पर्दे की प्रथा और लोगों में शिक्षा के अभाव के कारण चारों ओर गन्दगी रहती है। शिक्षा के क्षेत्र में नाममात्र सफलता रही है। पुरुषों में साक्षरता केवल ५ प्रतिशत है, स्त्रियों में न के बराबर है। २२ प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें १,२०० बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। दो जूनियर हाई स्कूलों में २६० छात्र हैं। लड़कियों का केवल एक प्राइमरी स्कूल है, जिसमें सिर्फ १५-२० लड़कियों को शिक्षा दी जा रही है। दो साल में कोई नई शिक्षा संस्था नहीं खोली गई है। दो जूनियर हाई स्कूलों को बेसिक स्कूलों में परिणत कर दिया गया है और कृषि प्रशिक्षण भी पाठ्यक्रम का अंग बना दिया गया है। तीन साक्षरता क्लासें शुरू की गई हैं। शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम की सफलता के लिए अनिवार्य है कि शिक्षा के प्रसार के लिए एक सर्वव्यापी कार्यक्रम चालू किया जाए।

जब खण्ड की शुरूआत हुई तो अधिकतर पंचायतें सिर्फ फाइलों पर ज़िन्दा थीं, उनके पास पूंजी नहीं थी और दलबन्दी का बोल बाला था। राष्ट्रीय विस्तार सेवा कर्मचारियों की सहायता से इनमें से कुछ के विकास काम शुरू कर दिए हैं। बकाया करों में से १२,००० रुपए लोगों से इकट्ठे किए गए। इस पूँजी से पंचायतों के कार्यों में काफ़ी सहायता मिलेगी।

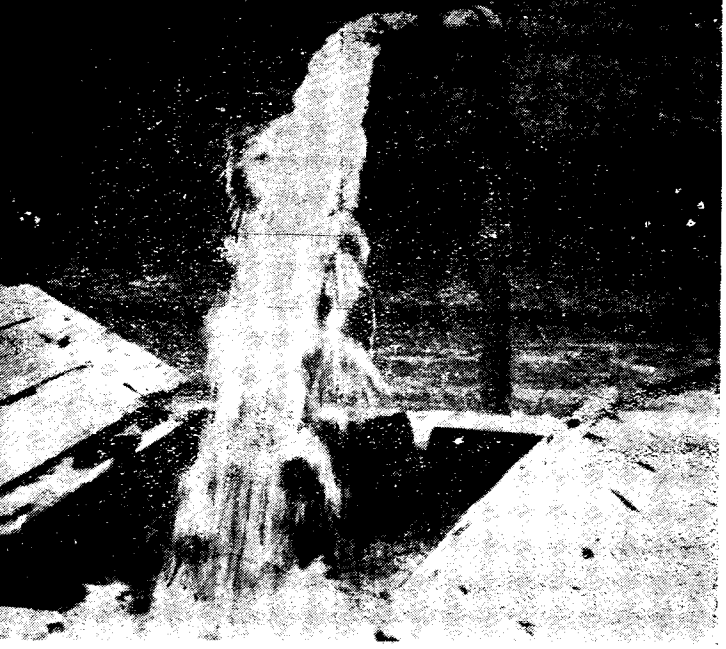

विकास-योजनाएँ और सिंचाई व्यवस्था

एक योजना-क्षेत्र में सिंचाई की नवीन व्यवस्था

बटाला सामुदायिक विकास-योजना के अन्तर्गत आदर्श गाँव कोटला नवाब में हरिजनों के लिए बनाया गया एक कुआँ

सीत

आनन्द के क्षेत्र में बनाया गया पक्का कुआं

ुरावाद के एक विक म खण्ड में स्त्रियाँ नए कुएँ से पानी भर रही हैं

क नल-कूप खोदा जा रहा है

एक

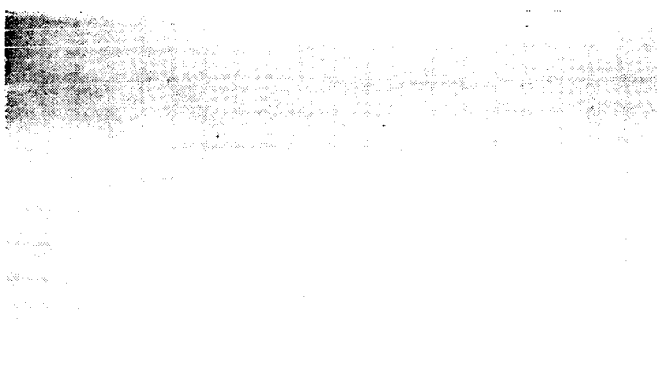

ं श्रमदानी कुआँ खोद रहे हैं

झारखड़ा ग्राम म बनाया गया कुआ

आँ

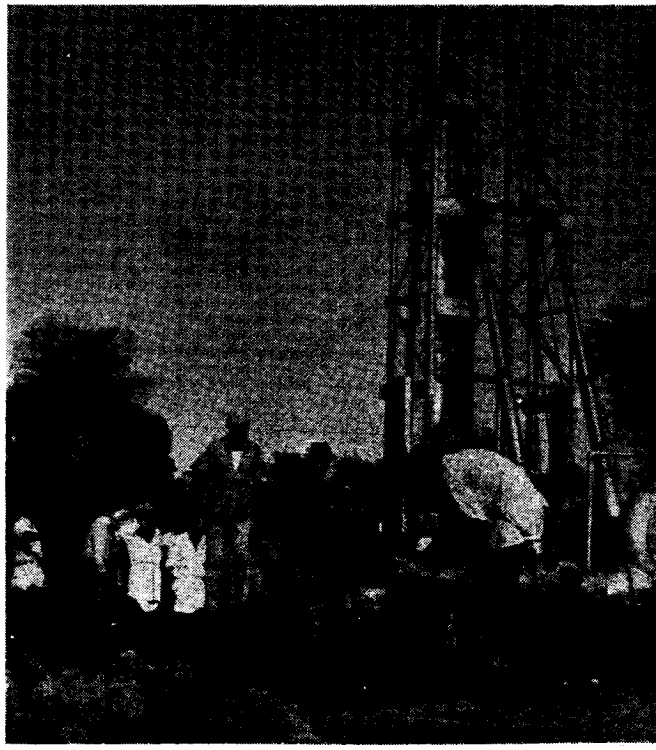

पंजाब के गाँव में नलकूप का निर्माण

पेप्सू में नवीन पद्धति से एक कुआँ खोदा जा रहा है

गाँवों में पुराने रहट की जगह नलकूप लगे रहे हैं

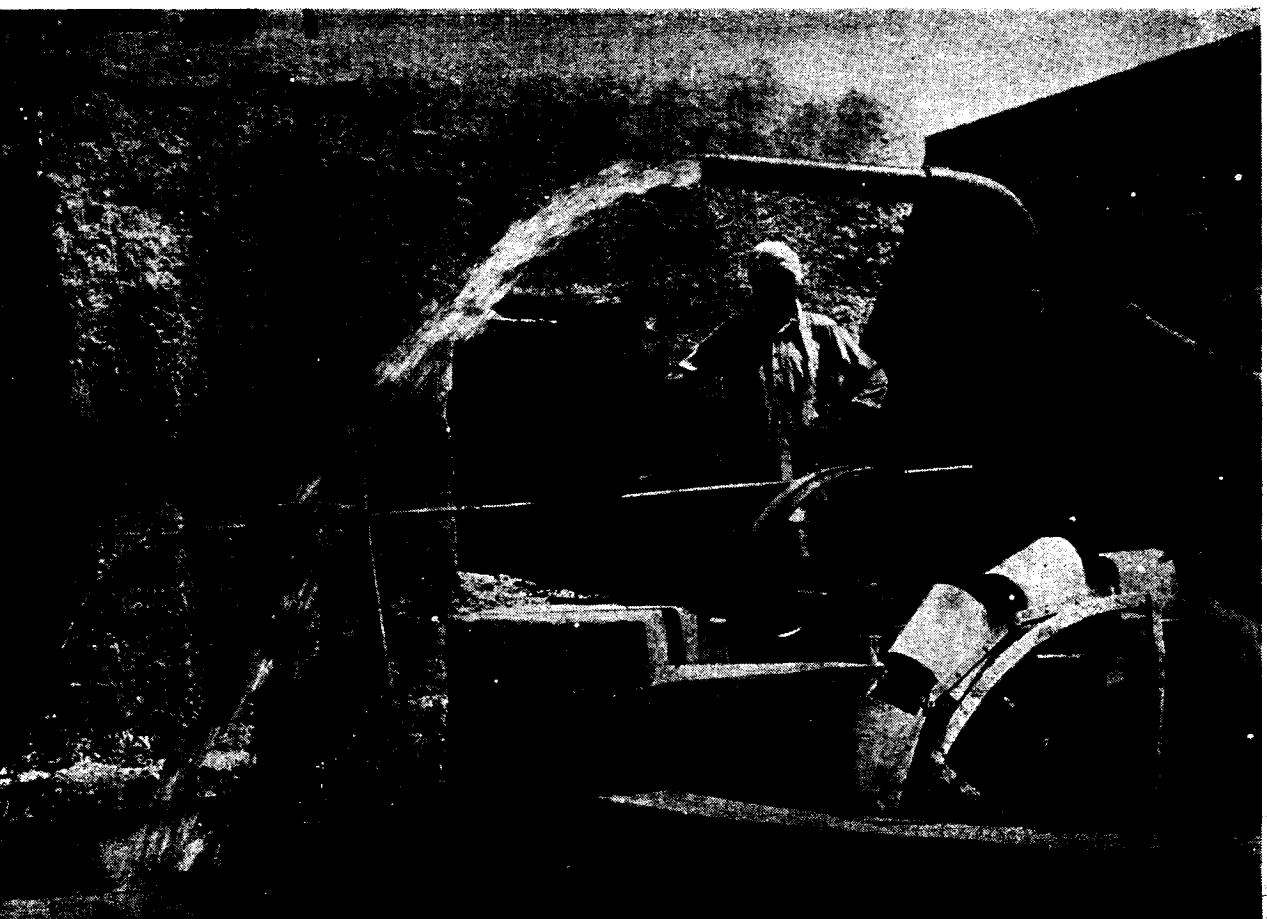

विकास की कहानियाँ

: १ :

राष्ट्रीय विस्तार सेवा बिल ग्राम के अन्तर्गत तुरतीचुर एक गाँव है। वहाँ एक जूनियर हाई स्कूल और एक प्राइमरी पाठशाला है। ग्राम-समाज ने स्कूलों को १५ एकड़ भूमि दान में दी; परन्तु इस भूमि पर ढाक का एक जंगल था, जिसमें झाड़ियाँ और ढाक के ऊँचे-ऊँचे वृक्ष थे। स्कूल के अध्यापकों और लड़कों के सामने एक विकट समस्या थी। भूमि कृषि के प्रदर्शनों के लिए दी गई थी, परन्तु एक बीघा भूमि भी कृषि योग्य न थी। हमें इस जंगल को कटवाना और भूमि को कृषि योग्य बनाना था।

ग्रामवासियों के सामने यह प्रस्ताव रखा गया कि गाँववालों के बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, अतः ग्रामवासी अपने श्रम द्वारा जंगल को साफ़ करें। गाँववालों को तैयार करने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए। 'आराम हराम है' का नारा लगाया गया। परन्तु तीन दिन तक कोई विशेष परिणाम न निकला।

मेरे साथ श्री शेरबहादुर सिंह, सहायक विकास अधिकारी सहकारिता एवं पंचायत भी थे। १० बजे दिन का समय था। हम २० आदमियों के साथ जंगल साफ़ कर रहे थे। चार भाई एक झाड़ी काटते समय बर्षा के कारण गाँव में पानी भर जाने के बारे में बातचीत कर रहे थे। उन दिनों इस गाँव के चारों ओर पानी ही पानी था। पानी घरों तक में प्रवेश कर गया था। गाँव से थोड़ी दूर एक नाला बड़े ज़ोर से बहता था। इस नाले के दूसरी ओर एक दूसरी बस्ती थी। गाँववाले नाले में बाढ़ आ जाने के कारण बहुत परेशान थे। मैंने सोचा कि हमें गाँववालों के इस दुख में हिस्सेदार बनना चाहिए। मुझे बताया गया कि गाँववालों के न आने का मुख्य कारण बाढ़ का पानी ही है।

मैंने तुरन्त अन्य साथियों को बुला कर सलाह की। एक भाई ने कहा कि हमारे गाँव की हालत उस नाले के पार जा कर देखिए। हमने काम बन्द किया और उस ओर चल पड़े। एक भाई ने मज़ाक करते हुए कहा— "बाबू जी! आप पाजामा उतार जाइए।" मैंने कहा—"सलाह तो अच्छी है।" आध मील तक हम लोग कमर-कमर पानी में गए। उसके बाद वह नाला आ गया जो बड़े वेग के साथ बह रहा था। सब साथी उसे पार करने के लिए आपस में बातें करने लगे। गाँववालों का विचार था कि हम नाला पार नहीं कर पाएँगे और उस गाँव नहीं जा सकेंगे। और जब यह समस्या पैदा हो जाएगी, तो जंगल साफ़ करने का काम भी रुक जाएगा। मैं तैरना जानता था। बस गंगा मां की जय बोल पानी में कूद पड़ा। शीघ्र ही दूसरा किनारा मिल गया। मेरे ही सहारे अन्य साथी भी दूसरे किनारे पर पहुँच गए। अब उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था। हम लोग आगे बढ़े और उस पुरवे में पहुँचे। देखा, सभी लोग, छोटे-बड़े, घरों से पानी उलीच रहे थे। हम लोग भी उनके साथ जुट गए। ग्रामवासियों के दिल में विश्वास बढ़ा। दो साल का एक हरिजन बच्चा, जिसकी माँ पानी उलीच रही थी, रो रहा था। मैंने उसे गोद में लेकर प्यार किया। घरवालों की बाछें खिल उठीं। सभी गाँववाले हम लोगों के साथ आ गए। गाँववालों ने प्रस्ताव रखा कि दूसरा नाला खोद कर पानी निकाला जाए। हम लोग परिस्थिति का अध्ययन करने के लिए चल पड़े। यह नाला नहीं खोदा जा सकता था क्योंकि रास्ता काफी ऊँचा था और पानी गिराने के लिए कोई झील व तालाब भी नहीं था। तीन बजे तक हम लोग

घूमे। अन्त में फिर उसी नाले पर आए और उनको समझाया कि वास्तविक नाला तो यही है। अगर दूसरा नाला खोदा जाएगा तो इस पुराने नाले की रफ्तार कम हो जाएगी और दोनों से ही पानी कम निकलेगा। फिर नया नाला गिराया कहाँ जाएगा? यह भी एक प्रश्न था। सारी बातें ग्रामवासियों की समझ में आ गईं। हम लोगों ने उनसे पूरी सहानुभूति दिखलाई। पहले बैठ कर उनकी परेशानियाँ सुनीं। उनकी मुसीबतों में सम्मिलित हुए और तब फिर जंगल की सफ़ाई का प्रश्न रक्खा गया। सुबह श्रमदान के लिए ग्रामवासियों के झुण्ड आने लगे। छः दिन में दो-दो सौ आदमियों ने प्रतिदिन कार्य करके केवल जंगल ही नहीं साफ़ कर डाला बल्कि अपने बैलों और हलों से सारी ज़मीन जोत डाली।

: २ :

खण्ड मुख्यालय से पाँच मील की दूरी पर मोना एक गाँव है। जलुआखेड़ा इसका एक पुरवा है जिसमें सब हरिजन ही रहते हैं। इस पुरवे में बरसात के समय चारों तरफ़ जल भर जाता था। खरीफ बिलकुल नहीं, रबी थोड़ी होती थी। आने-जाने के रास्ते बिलकुल बन्द हो जाते थे और घरों में पानी प्रवेश कर जाता था। अगर तीन मील लम्बी दस फुट चौड़ी नाली खोद दी जाती तो सारी मुसीबतें दूर हो जातीं। इस कार्य के महत्त्व को भली-भांति समझते हुए विकास-कार्यकर्त्ताओं ने सर्व-प्रथम इसे ही अपने हाथ में लिया।

एक दिन दोपहर का समय था। मैं साइकिल से श्रमदान कार्य को देख कर कुछ ग्रामवासियों के साथ जलुआ खेड़ा आया। श्रमदान का कार्य बहुत बाक़ी था और कुछ ढीला-सा पड़ गया था। मोना खास के निवासी श्रमदान पर नहीं आ रहे थे। जब मैं हरिजन भाई चेतराम के दरवाजे पर बैठा था तो अकस्मात् मोना के श्री रामभरोसे उधर आ निकले। श्री रामभरोसे और उनका दल श्रमदान पर नहीं आ रहा था। दोपहर का समय तो था ही, मैंने भाई चेतराम से कहा कि प्यास लगी है। सुन कर भाई रामभरोसे कुछ असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उस गाँव में कोई सवर्ण नहीं था और सवर्णों का गाँव १ मील दूर था। भाई चेतराम थोड़ी देर में एक गिलास दूध और पानी ले आए। वह मुझे और मेरे विचारों को पहले ही से जानते थे। यह सब बातें भाई रामभरोसे को कुछ अजीब-सी मालूम पड़ीं। सब लोग चले गए। मैंने भी दोपहर वहीं बिताई और सोचता रहा कि किस युक्ति से कार्य सम्पन्न किया जाए। दूसरे दिन सवेरे सात बजे जब मैं श्रमदान देखने पहुँचा तो मेरे आश्चर्य की सीमा न रही। भाई रामभरोसे अपने १५० साथियों के साथ श्रमदान पर डटे हुए थे। मैं इसका कारण न समझ सका। भाई रामभरोसे नारे लगा रहे थे कि श्रमदान करके ही रहेंगे। यह था भाई चेतराम के एक गिलास दूध का असर। वास्तव में मैं यह नहीं समझा था कि इसका यह प्रभाव पड़ेगा। यह देख कर तो मैं दंग रह गया कि धमवैया गाँव का एक हरिजन, जो दोनों पाँवों से पंगु था, और जो मुश्किल से ही खड़ा हो सकता था, एक घोड़ी पर बैठकर आया और फावड़े से मिट्टी खोद-खोद कर टोकरी में भरने लगा। उसकी उम्र ५० साल से ऊपर थी। मैंने जिस समय उसे देखा तो तत्काल उसके हाथ से फावड़ा ले लिया और प्रार्थना की कि वह बैठ जाए। उसने यह कह कर मुझे शर्मिन्दा कर दिया कि क्या वह इस महायज्ञ में भाग न ले? मेरे पास कोई उत्तर न था।

एक दिन हमारे लोकप्रिय कमिश्नर साहब, श्री एस० एस० हसन साहब इस श्रमदान को देखने के लिए पधारे। उन्होंने आश्चर्य से पूछा कि क्या यह सब काम श्रमदान द्वारा हुआ है? उनको हमारे क्षेत्र विकास अधिकारी ने बताया कि १४ हज़ार ग्रामवासियों ने मिलकर इस कार्य को पूरा किया है। मैंने जिस समय भाई चेतराम का परिचय कमिश्नर साहब से कराया तो अति प्रसन्न हुए और अपने गले की माला, जो उन्हें स्वागत के समय पहनाई गई थी, चेतराम को पहना दी तथा प्रत्येक ग्रामवासी को इस कार्य के लिए बधाई दी। इस कार्य से हमारे ग्रामवासियों का दिल चौगुना हो गया और उन्हीं के दम पर हम ज़िले की श्रमदान शील्ड पिछले दो सालों से जीतते चले आ रहे हैं।

★

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, जम्मू और काश्मीर राज्य को छोड़कर, भारत में मतदाताओं की संख्या १६ करोड़ ३० लाख है।

सबसे अधिक मतदाता उत्तरप्रदेश में हैं, जिनकी संख्या ३ करोड़ ४७ लाख है। इसके बाद बम्बई का नम्बर आता है, जहां २ करोड़ ४३ लाख मतदाता हैं।

पिछले आम चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या १७,३२,१३,६३५ थी।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

भगवन्तसिंह

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड जन-जागरण और गाँव में रहने वाले हर परिवार की आर्थिक उन्नति में सहायता करने के लिए खोले गए हैं। जनता की सूचना और जानकारी बढ़ाना इनका ध्येय है, जिससे हर मनुष्य की कार्य-कुशलता, उसकी उत्पादन-शक्ति और जीवन-स्तर को ऊँचा करने की भावना बढ़े।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों द्वारा देश का उत्पादन बढ़ाना इस समय हमारा मुख्य उद्देश्य है। यह हमारे लिए शर्म की बात है कि हमें दूसरे देशों से अन्न तक मंगाना पड़े। हर साल हमारे देश की जनसंख्या में लगभग ५० लाख की वृद्धि हो जाती है। बढ़ती हुई आबादी के लिए अधिक अन्न उपजाना आवश्यक है। कपड़े, गन्ने, तेल, जूट इत्यादि के कारखानों को चलाने के लिए माल पैदा करके किसान अपनी आर्थिक दशा सुधार सकते हैं। **किसानों का जीवन-स्तर ऊँचा करने के लिए कृषि की पैदावार बढ़ाना आवश्यक है।** यदि उत्पादन में काफी वृद्धि नहीं होती तो सब चीज़ों के दाम बढ़ जाने की सम्भावना है। बढ़ते हुए दामों को हमें अधिक उत्पादन करके रोकना है। मंहगाई में सारी जनता का ही जीवन कठिन हो जाता है। इस्पात और लोहे के बड़े-बड़े कारखाने खोलने, भारी उद्योगों को स्थापित करने और देश में न बनने वाली सामग्री का आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। अन्न मंगाने में यदि हम विदेशी मुद्रा का उपयोग करेंगे तो जो चीज़ हम देश की उन्नति के लिए मंगाना चाहते हैं, वह कम आ सकेगी। हमें तो कृषि का उत्पादन इतना बढ़ाना है कि बाहर भी अन्न इत्यादि भेजकर विदेशी मुद्रा कमा सकें। खाद्य पदार्थों और कपड़े इत्यादि में आत्मनिर्भरता आवश्यक है। उत्पादन बढ़ाने, बेरोज़गारी दूर करने और खाली समय का सदुपयोग करने के लिए कुटीर उद्योग और दस्तकारियों को प्रोत्साहन देना भी इतना ही आवश्यक है, जितना कृषि-उत्पादन बढ़ाना। राष्ट्रीय विस्तार खण्ड बहुमुखी उन्नति के लिए खोले गए हैं। स्कूल, पंचायतघर, नाली, पीने के पानी के कुएँ, शौचालय, मूत्रालय, स्नानागार, गाँव की सफ़ाई, बीमारियों की रोकथाम, अस्पताल, जच्चा-बच्चा कार्य, शिक्षा, समाज-शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात की सुविधा, खेलकूद, मनोरंजन, महिला-कल्याण, युवक दल, इत्यादि सभी राष्ट्रीय विस्तार योजना के कार्यक्रम में हैं। ग्रामीण जीवन के सभी पहलुओं पर राष्ट्रीय विस्तार खण्डों में विकास कार्य होता है। किन्तु इस समय हमें अधिक से अधिक ध्यान उत्पादन बढ़ाने पर देना चाहिए। कृषि-उत्पादन बढ़ाना, फल और सब्ज़ी अधिक पैदा करना, गाय-भैंस, बकरी-भेड़ों की नस्ल सुधारना, मुर्गी-पालन, मछली-पालन, वन लगाना, लकड़ी, लोहे, कपड़े, चमड़े और तरह-तरह के उद्योग-धन्धों द्वारा माल पैदा करना बहुत ही ज़रूरी है। पैदावार बढ़ा कर ही हम पैदावार के साधन बढ़ा सकेंगे। कुछ बचत करके आगे की योजनाएँ चला सकेंगे और अपनी सहूलियत के लिए मकान, स्कूल, अस्पताल और सड़कें इत्यादि बना सकेंगे। दूसरे देशों में प्रति एकड़ पैदावार की औसत हमारे देश के औसत से कहीं अधिक है। कृषि प्रतियोगिताओं द्वारा हमारे ही देश में कृषि पंडितों ने सिद्ध कर दिया है कि पैदावार कई गुना बढ़ाई जा सकती है। हर गाँव में कुछ कृषक दूसरों से प्रति एकड़ अधिक पैदावार करते हैं। यदि हम सभी कृषकों की पैदावार अच्छे कृषक की पैदावार के बराबर ले आएँ, तो पैदावार काफी बढ़ सकती है। सहकारिता के आधार पर सब काश्तकारों को उत्पादन बढ़ाने के लिए साधन प्राप्त हो सकते हैं। अच्छे बीज, रासायनिक खाद, अच्छे कृषि यन्त्र, अच्छे बैल, सिंचाई के साधन, भूमि को अधिक उपजाऊ बनाने के साधन प्राप्त हो सकते हैं। हर परिवार में से एक आदमी को सहकारी समिति का सदस्य बनाया जाए ताकि उत्पादन के लिए कर्ज़ मिल सके और धन अभाव से उत्पादन में बाधा न पड़े। कूड़ा-करकट, पत्ते, गोबर, मैला, इत्यादि इकट्ठा करके अच्छे ढंग से अधिक से अधिक मात्रा में खाद बनाई जाए। खेती में सनई, ढैंचा, मूंग, लोभिया, ज्वार जैसी फसलें पलट कर हरी खाद दी जाए। खली की खाद भी खेतों में दी जाए। हर खेत की मेंड़ को ठीक करके समतल बनाया जाए, जिससे खेत की मिट्टी बह कर न जाए और ज़मीन भी आवश्यकतानुसार पानी पी सके। मेहनत और सहयोग से खेती में कमाई की जाए। चूहे, नीलगाय, चिड़ियाँ, बन्दर, दीमक, कीड़े-मकोड़े, जो भी खेती को नुकसान पहुँचाते हैं, उनसे फसलों की सुरक्षा की जाए। सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएँ। जो कुछ पानी सिंचाई के लिए मिलता है, उसका किफ़ायत के साथ सदुपयोग किया जाए। किसानों के बीच बैठ कर उन्नतिशील खेती का ज्ञान बढ़ाया जाए। गाँवों में उत्पादन बढ़ाने के विषय के साहित्य का अधिक से अधिक प्रचार किया जाए। प्रदर्शनी, किसान मेला, दृश्य दर्शन, प्रदर्शन, प्रतियोगिता, भजन, सिनेमा फिल्म इत्यादि द्वारा उत्पादन बढ़ाने की भावना हर किसान के

दिल में पैदा की जाए और उसका ज्ञान बढ़ाया जाए। विकास खण्डों में दस्तकारी सिखाने की कक्षाएँ खोली जाएँ। उद्योगों के लिए सहकारी समितियाँ बनाई जाएँ। जो माल बने, उसकी बिक्री का प्रबन्ध किया जाए। यही राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों का कार्यक्रम है।

विकास-कार्य के लिए योग्य व्यक्ति चुने जाएँ। उनके प्रशिक्षण का उचित प्रबन्ध हो। वे चतुर और कार्यकुशल हों। सेवाभाव और जनता के बीच रह कर जनता के दुख हरें और जनता को सुखी और समृद्ध बनाने में प्रयत्नशील रहें। जनता का पूरा सहयोग और विश्वास उनको प्राप्त हो। छोटे से छोटे विकास कार्यकर्त्ता का आदर-सत्कार हो। योजना बनाते समय उनकी कठिनाइयें, उनके विचारों, उनके सुझावों को ध्यान में रखा जाए। उनके साथ बराबरी का बर्ताव हो। सारे विभागों के कर्मचारी क्षेत्र की उन्नति के कार्य को मिलजुल कर करें, हर विभाग के प्रोग्राम पाक्षिक या मासिक मीटिंग में निश्चित कर लिए जाएँ। इस प्रकार एक ही सूत्र में बँध कर सब विकास कार्यकर्त्ता क्षेत्र की उन्नति करने में जुटे रहें। राष्ट्रीय विस्तार योजनाएँ सभी के मिले-जुले प्रयास से सफल हो सकती हैं।

कार्य करने की प्रणाली यह है कि जब भी कोई विकास कार्य करने का विचार हो, तो पहले जाँच-पड़ताल कर ली जाए। समस्या को अच्छी तरह समझ कर, सारे साधनों पर भली प्रकार विचार कर के लक्ष्य निर्धारित किए जाएँ। क्षेत्र के लक्ष्य खण्ड की सलाहकार समिति की सलाह से निर्धारित किए जाएँ। जिन लोगों को कार्य करना हो, उनको पहले निर्णय में सम्मिलित कर लिया जाए ताकि कार्य करने में उनकी रुचि और उत्साह हो। कितने समय में किस प्रकार, किसके द्वारा लक्ष्य पूरा होगा, यह निश्चय कर लिया जाए और फिर लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सब अपने-अपने काम में जुट जाएँ। जो कार्य सम्पन्न होते जाएँ, उन पर समय-समय पर विचार किया जाए कि कहाँ कितनी सफलता मिली, क्या कठिनाइयाँ आगे आईं, क्या कमी रह गई, आगे क्या नीति बरती जाए। इस प्रकार अपनी सफलता और असफलता से सीख लेते हुए हम आगे बढ़ें, जिससे सारे विकास कार्यों में सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, उत्साह और एकता का वातावरण बना रहे।

सारे भारतवर्ष में दूसरी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय विस्तार खण्ड खोल दिए जाएँगे। ग्रामीण जनता ने इनको अपनाया है। खण्ड जल्दी से जल्दी खोलने की हर क्षेत्र से मांग है। जनता का पूरा सहयोग है। इसी कारण राष्ट्रीय विस्तार योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना की जान है। इसी से प्रजातन्त्र की नींव मज़बूत हो रही है। इसी से सारे देश में एक दृष्टिकोण बन रहा है। इसी से ग्राम-स्वराज का हमारा स्वप्न पूरा होगा।

★

लाडनूं राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड---[पृष्ठ ७ का शेषांश]

पर्व को बड़े उत्साह से मनाया गया। सभी पंचायत केन्द्रों के परपंचों ने राष्ट्रीय ध्वजाएँ फहराईं और सभाओं का आयोजन किया। उपस्थित जनों को इस दिवस का महत्व समझाया गया। ग्राम सेवकों ने इस कार्य को अधिक सुगम बना दिया। उन्होंने ग्रामीणों के लिए रुचिकर कार्य-क्रम बनाए। विकास खण्ड के केन्द्र लाडनूं में भी स्वाधीनता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। खेल-कूद, कविता गान, अल्पाहार तथा बालचरों द्वारा कैम्पफायर के कार्यक्रम भी रखे गए। एक आम सभा का भी आयोजन किया गया।

इस खण्ड के लिए स्टाफ व बजट तो ठीक स्वीकृत किया गया है परन्तु यह अखरने वाली बात है कि पूर्ण स्टाफ ५ महीने बीतने पर भी नहीं मिला। समाज शिक्षा संगठन-कर्ताओं का कार्य विस्तार सेवा के लिए बड़े महत्व का है। उनकी अनुपस्थिति में विकास कार्य की गति मन्द पड़ जाना स्वाभाविक है। भेड़ व ऊन इन्स्ट्रक्टर का कार्य भी कम महत्व का नहीं है क्योंकि भेड़ पालना तथा ऊन बेचना यहाँ का एक प्रमुख व्यवसाय है। पशुओं की चिकित्सा का प्रबन्ध किया गया है परन्तु सन्तोषप्रद उसे भी नहीं कहा जा सकता।

श्रमदान पखवाड़े की सफलता तथा श्रमदान के आँकड़ों पर इस खण्ड को गर्व है। अल्प बचत योजना की सफलता भी प्रशंसनीय है। विकास के अन्य कार्य भी अच्छी प्रगति के द्योतक हैं।

★

गाँवों में ऊँची शिक्षा की संस्थाएँ

गाँवों के योग्य नवयुवक प्रायः इसीलिए गाँव छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि गाँवों में वे अपने विकास के समुचित अवसर नहीं पाते। पर अब देहातों में उच्च शिक्षा की दस संस्थाएँ खोलकर यह बुराई दूर की जा रही है।

ऐसी एक संस्था दो महीने पूर्व दिल्ली में जामिआ मिलिया में खोली गई। इसमें पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के ५५ विद्यार्थियों ने शिक्षा पानी शुरू कर दी है। इन विद्यार्थियों में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं।

आजकल प्रायः सभी उच्च शिक्षण संस्थाएँ शहरों में ही हैं। गाँवों में चूंकि उच्च शिक्षा की सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं, इस लिए वहाँ के योग्य व्यक्ति शहरों की ओर आकर्षित हुए और गाँवों में योग्य व्यक्ति न रहने के कारण वहाँ की दशा और भी बिगड़ गई और इसी कारण वहाँ पर आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया।

पर भारत की अधिकांश जनता देश के साढ़े पाँच लाख गाँवों में रहती है। हमारी विकास और शिक्षा प्रसार की योजनाएँ तब तक सफल नहीं हो सकतीं जब तक देहाती इलाकों में उच्च शिक्षा की व्यवस्था न की जाए। इस ओर हाल में ही ध्यान गया। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ने १९४९ में इस बारे में सिफ़ारिशें कीं।

इन सिफ़ारिशों के फलस्वरूप तथा सामाजिक कार्यकर्त्ताओं एवं ग्राम कल्याण अभिकरणों की इस काम में बढ़ती हुई रुचि के कारण अक्टूबर १९५४ में ग्रामीण उच्च शिक्षा समिति की नियुक्ति की गई। गाँवों में उच्च शिक्षा के बारे में एक ऐसी प्रणाली अपनाने के सम्बन्ध में, जो देश की आवश्यकताओं और साधनों के अनुरूप हो, सिफ़ारिश करने के लिए समिति ने वर्तमान संस्थाओं का तथा गाँवों में उच्च शिक्षा के बारे में किए गए परीक्षणों का विशद् सर्वेक्षण किया। इस समिति की मुख्य सिफ़ारिश यह थी कि शुरू में देश के विभिन्न भागों में उच्च शिक्षा की दस ग्रामीण संस्थाएँ स्थापित की जाएँ।

समिति की सिफारिशों पर अमल किया गया। इस वर्ष देहाती इलाकों में उच्च शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की गई। केन्द्रीय शिक्षा उपमंत्री इसके अध्यक्ष हैं। यह समिति भारत सरकार को गाँवों में उच्च शिक्षा के बारे में परामर्श देती है। १९५६ में ही अगस्त के मध्य तक इसकी अनेक संस्थाएँ पूरी तरह चालू हो गईं। ये संस्थाएँ निम्नलिखित स्थानों पर हैं: श्रीनिकेतन, उदयपुर, मदुरइ, मुजफ्फरपुर, सातोसारा (सौराष्ट्र), कोयमुत्तूर, अमरावती, कोल्हापुर और जामिआ मिलिया (दिल्ली) इस तरह देश का बहुत बड़ा क्षेत्र इनके अन्तर्गत आता है।

अब तक तीन पाठ्यक्रम तैयार और स्वीकृत किए गए हैं: ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स, कृषि इंजीनियरिंग विज्ञान में दो वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स, और सिविल तथा ग्रामीण इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स। गरीब विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की एक योजना पर भी विचार किया जा रहा है। प्रायः सभी संस्थाओं में एक पाठ्यक्रम और कुछ में दो पाठ्यक्रम चालू भी हो चुके हैं।

उदाहरण के तौर पर जामिआ मिलिया में ग्रामीण सेवाओं में तीन वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया गया। इस कोर्स के अन्तर्गत विद्यार्थियों को अन्य उच्च संस्थाओं के पाठ्यक्रम के अतिरिक्त सभ्यता का इतिहास, देहाती, आर्थिक, सामाजिक, कृषि, इंजीनियरिंग और सफाई सम्बन्धी समस्याओं का प्रारम्भिक अध्ययन, सहकारिता, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक प्रशासन, समाज शिक्षा, गृह-विज्ञान, ग्रामोद्योग, कला, आदि विषय भी पढ़ाए जाते हैं। खेतों में कृषि कार्य पर विशेष महत्व दिया जाता है।

कृषि विज्ञान के दो वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स में गाँववालों की रुचि के विषयों की शिक्षा दी जाती है, जैसे ग्रामोद्योग, रेशम के कीड़े पालना, पशु-पालन, दुग्ध व्यवसाय, आदि।

तीसरे तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में एप्लाइड मैकेनिक्स, वर्कशाप (बढ़ईगीरी, लोहारगीरी और फिटिंग) और ग्राम विस्तार सेवाओं जैसे सड़कें और पुल बनाना, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा आदि के पठन-पाठन की व्यवस्था है।

इन संस्थाओं में सभ्यता और श्रम, कला और प्रौद्योगिकी, तथा व्यावहारिकता और आदर्श के बीच समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की जाती है। विद्यार्थियों को यह भी सीखना पड़ता है कि ग्राम जीवन की वास्तविक समस्याओं का हल किस प्रकार किया जाए।

★

एक बाल सभा

हरिदास दीक्षित

सन्ध्या का समय था। गोधूलि की बेला में पशु-पक्षी अपने-अपने घरों को लौट रहे थे। मंज़िल पर पहुँचने के लिए मेरे कदम विकास खण्ड आमेट की धरती पर बसे एक पहाड़ी गाँव डीडवाना को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। मेरे जूतों की चरमर-चरमर आवाज़ को भंग करती हुई, उस सुनसान, वीरान, बियाबान जंगल की नीरवता को चीरती हुई, एक आवाज़ मेरे कानों से आ टकराई। आवाज़ सधी हुई, किसी बाल-टोली की थी—"हाथ थामो थामो! घेरा बने बने! घेरा जमके बने! हाथ छोड़ो छोड़ो। साथ कभी न छोड़ो!" बढ़ते हुए कदम कुछ क्षण के लिए रुके और बढ़ चले उस बाल टोली की ओर, जहाँ से यह आवाज़ आ रही थी।

मुझे अपनी ओर बढ़ता देख कर एक फुर्तीला नौजवान मेरे स्वागत के लिए आगे बढ़ा। नजदीक आकर उसने 'जय हिन्द' का उद्घोष किया। साधारण परिचय के बाद वह हाथ में हाथ थामे मुझे बाल टोली के भीतर इस प्रकार ले गया जैसे मैं उनका ही कोई सदस्य हूँ। चारों ओर से ज़ोरदार शब्दों में 'जय हिन्द' का उद्घोष हुआ। अरावली की शृंखलाओं में 'जय हिन्द' गूँज उठा।

मेरा परिचय एक दूसरे नौजवान से कराया गया। वह था उस टोली का नायक तथा उस गाँव का अध्यापक और मेरे स्वागतकर्ता थे उस हलके के ग्राम सेवक श्री आज़ाद। विशेष समय बरबाद किए बिना टोली का कार्यक्रम शुरू हुआ और बात की बात में बच्चों के खेलों ने उस स्थान को नन्दन वन बना दिया! एक नियम, एक संयम, एक अनुशासन में यह बच्चे आदर्श नागरिक बन, नवीन भारत के भाग्य का निर्माण कर रहे थे। खेल समाप्त हुआ। चर्चा प्रारंभ हुई।

जिज्ञासावश मैंने पूछा—"आज़ाद जी! क्या इस तरह के कार्यक्रम हर रोज़ होते हैं?"

"जी, प्रत्येक दिन! हमारी बाल सभाएँ बिला नागा, खेल से अपना कार्य प्रारम्भ करती हैं। फिर संगीत, कविता, कहानी, प्रवचन के साथ बाल सभा का कार्यक्रम समाप्त होता है।"

उनके इस कथन से मेरी जिज्ञासा शान्त न हुई। अतः पूछ बैठा—"कहानी, कविता, प्रवचन आद में बच्चे भाग लेते हैं अथवा आप सुनाते हैं?"

"जिस प्रकार खेल के भीतर हम बच्चों के हमजोली बनकर खेलते हैं, ठीक उसी तरह बाल सभा की प्रत्येक गतिविधि में सब का हिस्सा लेना ज़रूरी है। हम भी एक हमजोली की तरह उसमें अपना हिस्सा अदा करते हैं। अलबत्ता स्वास्थ्य, नागरिकता आदि विषयों के प्रवचनों में बालक हिस्सा नहीं ले सकते, इसे हम पूरा करते हैं। इस तरह मिल-जुल कर हम आगे बढ़ते हैं।

आज़ाद जी की बात समाप्त होते ही गोल चक्कर में से रामू नामक बालक बोल पड़ा—"ग्राम सेवक जी, कानू बिल्ली रानी की कितनी सुन्दर कविता सुनाता है। मीना की 'नानी की कहानी' तो हमें बहुत पसन्द आई।"

"अरे रामू तू तो अपनी बिल्ली की बोली सुना दे।" उसके मुख की ओर देख कर बालक बोले। आज़ाद जी ने सबको यह कह कर चुप किया कि पहले हमें इनसे बात कर लेने दो, फिर समय रहा तो आपकी माँग पूरी की जाएगी।

बालकों की यह निर्भीकता मुझे बहुत पसन्द आई। उनके इन तौर-तरीकों की दाद दिए बिना न रह सका। बालकों के प्रति इस लगन से काम मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज़ादी का जीता-जागता परिणाम मुझे शहरों की हवा में नहीं, वरन् डीडवाना के इस पहाड़ी इलाके में दिखाई दिया। कार्य की सराहना में मेरे मुँह से कुछ शब्द निकल पड़े—"आपका प्रयास बड़ा ही सराहनीय है। इस समय विकास खण्ड आमेट में कितनी बाल सभाएँ कार्य कर रही हैं?"

"केवल बाल सभाओं के द्वारा ही बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता। यह तो बालकों के विकास के साधनों में से एक है। इसके अलावा बाल-मेले, स्वस्थ शिशु प्रदर्शनियाँ, समाज-सेवा शिविर आदि कई कार्यक्रम बच्चों के चौमुखी विकास के लिए संगठित जाने चाहिएँ। विकास खण्ड आमेट में इस समय १० बाल सभाएँ भिन्न-भिन्न ग्राम सेवक हलकों में चल रही हैं। लगभग ८ स्वस्थ शिशु प्रदर्शनियाँ खण्ड स्तर पर आयोजित की जा चुकी हैं। बाल मेले लगाए जाने की योजनाएँ बनाई जा रही हैं।"

आज़ाद जी अपनी बात बताते जा रहे थे और मैं कल्पना-सागर की तरंगों पर तैर रहा था। मेरे सामने एक सुनहला स्वप्न था जिसमें भारत के स्वस्थ तथा अनुशासित बच्चे दिखाई

दे रहे थे। उनका नैतिक स्तर, आत्म-विश्वास, निर्भीकता प्रशंसनीय थी। उनके बढ़ते कदम उनकी बढ़ती हुई हिम्मत के परिचायक थे। चाचा नेहरू के ये बलिष्ठ भतीजे अपने नन्हें-नन्हें हाथों से देश के भाग्य का निर्माण कर रहे थे। आज़ाद जी के बोलने पर मेरा स्वप्न भंग हुआ—"इन कार्यक्रमों के अलावा हमने एक एक पखवाड़े के लिए दो समाज सेवा शिविरों का भी आयोजन किया है।"

"क्या कहा आपने ? समाज सेवा शिविर !"

"जी, समाज सेवा शिविर ! करीब १०० छात्रों का था। बड़ा ही मनमोहक कार्यक्रम रहा। सब बालक साथ-साथ रहते थे। साथ खाते साथ सोते, साथ स्नान करते तथा काम करते थे। जीवन बड़े ही नियम तथा संयम से चलता था। सुबह समय पर जागना, शौचादि से निवृत्त हो श्रमदान करना, दिन में गोष्ठी, रात्रि को सांस्कृतिक कार्यक्रम, क्या बताऊँ आपको गाँव में एक मेला-सा लग जाता था, एक नई रौनक तथा नया जीवन दिखाई देता था। इस प्रकार के दो शिविर, एक लोदियाना गाँव में तथा दूसरा जैतपुरा में आयोजित किया गया।"

सामूहिक रहन-सहन और सहकारिता की आदत का निर्माण कर नए भाई चारे को ढाल रहे थे जिससे साम्प्रदायिकता की कूप मंडूकता, छुआछूत की संकीर्णता का भूत कोसों दूर भाग रहा था। पर बच्चों का यह श्रमदान कुछ शंका पैदा कर रहा था। अतः मैं पूछ बैठा—"बालक और श्रमदान ?"

"जी, बालकों का श्रमदान निराला है, इनका हर काम जोश-खरोश के साथ शुरू होकर उत्साह और उमंग से पूर्ण होता है। इन्होंने लोदियाना तालाब पर मिट्टी डाली, जैतपुरा में सड़क बनाई। ये काम तो महत्व के हैं ही पर इनसे बड़ा महत्व उनके द्वारा पैदा हुई जागृति का है। सुबह कुदाल-फावड़े कन्धे पर रख एक कतार में गगन भेदी नारे लगाते। जब यह बाल सेना बढ़ती है तो नज़ारा देखते ही बनता है—

धरती माँग रही बलिदान, वीरो बढ़ो, करो श्रमदान।
सबसे बड़ा कौन सा दान, श्रम का दान, श्रम का दान॥
जगे गाँव की क्या पहचान, नारी-नर करते श्रमदान।
सभ्य देश की क्या पहचान, पढ़ा लिखा मजदूर किसान॥

नारे भी क्या हैं—पूर्ण ओजस्वी, अंग-अंग फड़का देनेवाले। बातों का लुत्फ और भी आता पर उधर सन्ध्या का अवसान हो रहा था, आकाश की लाली ढलती जी रही थी, मुझे अपनी मंज़िल पर पहुँचने के लिए एक मील और चलना था। अतः 'जय हिन्द' के उद्घोष के साथ उन बाल मित्रों से विदा ली।

★

शराब की लत

कुछ वर्ष पहले की बात है। हिमालय के आँचल में बसे एक गाँव में एक धनवान परिवार रहता था। गांव का नाम तिथलाकोट था। पति का नाम गम्भीर और उसकी पत्नी का नाम सुशीला था। उनके दो बच्चे थे। लड़की का नाम रूमा और लड़के का नाम रुकम था। दोनों बच्चे साथ-साथ स्कूल जाया करते थे। सुशीला बड़ी रूपवती, गुणवती और पतिव्रता थी। गृहस्थी के और कामों के अतिरिक्त ऊनी वस्त्रों, गलीचे तथा पंखी-पट्टू आदि की कताई-बुनाई भी स्वयं ही करती थी। अपने बच्चों को साफ़-सुथरा रखने और उनकी शिक्षा का उसे सदा ध्यान रहता था। अतिथि सत्कार में कोई कमी न करती थी। गम्भीर गरीबों को कर्जे पर रुपया देता और उनसे बहुत मोटा ब्याज लेता था। बेचारे गरीब उसका ब्याज अदा करते-करते मर जाते थे। करते क्या ? ज़रूरत पड़ने पर उन्हें विवश हो ऋण लेना ही पड़ता था।

सुशीला ने कई बार अपने पतिदेव से विनती की कि इस तरह से गरीबों से ब्याज वसूल न किया करो, यह बड़ा अन्याय है। उसने पति को समझाया कि ब्याज से जितनी आमदनी होती है, उससे कहीं ज्यादा वह अपनी मेहनत ऊनी वस्त्र, कम्बल आदि बनाकर कमा लेगी। आप इस तरह अन्याय करना छोड़ दीजिए। परन्तु गम्भीर ने एक न सुनी और मनमाना ब्याज वसूल करता रहा। जब कभी किसी से ब्याज वसूल न होता तो वह उन लोगों से नाज़ायज़ ढंग से शराब खींच कर देने को कहता। विवश होकर वे बेचारे शराब खींचते।

इस तरह उसकी शराब पीने की आदत बढ़ती गई। उसे अपने बच्चों को पढ़ाने-लिखाने की कतई चिन्ता न थी। उसका विचार था कि इस तरह से ब्याज वसूल करके ही मेरे बच्चे पलेंगे। सुशीला ने अपने पति से बराबर विनती की—"हे पतिदेव, आप शराब पीना छोड़ दें।" किन्तु उसने एक न मानी और कहने लगा—"तुझे क्या चिन्ता है ? हमारे पास बहुत धन-दौलत है। ब्याज से ही बड़े मज़े में गुज़ारा चल जाता है, मूलधन तो दूर रहा।" इस तरह उसका शराब पीने का चस्का बढ़ता ही गया। अब कई शराबी लोग रोज़ उसके पास आने लगे। उनकी महफिलें जमने लगीं। पहले जिस स्थान में सुशीला अपने बच्चों के साथ पूजा-पाठ, कीर्तन-भजन करती थी, वहाँ अब गम्भीर अपने शराबी दोस्तों के साथ शराब व कबाब उड़ाने लगा। गम्भीर का काम दिन भर सोना, रात में शराब व कबाब उड़ा कर गप-शप मारना रह गया। इस तरह कुछ दिन बीते। उसका सारा ब्याज शराब में फुँकने लगा। कुछ दिन बाद मूलधन की भी बारी आ गई।

दो-चार वर्ष यही हालत रही। सुशीला ने कई बार विनती की, परन्तु गम्भीर ने कुछ भी ध्यान न दिया। धीरे-धीरे सभी मूलधन तक शराब व कबाब की भेंट चढ़ गया। फिर क्या था? गम्भीर ने अपनी पत्नी के सन्दूक का ताला तोड़ कर धन निकालना आरम्भ किया। इसे सुशीला ने अपने बच्चों के पढ़ाने-लिखाने के लिए रख छोड़ा था। वह धन भी कुछ समय पश्चात् स्वाहा हो गया। इसके बाद घर के बर्तनों के बिकने की नौबत आ गई। उसकी बुरी आदत बढ़ती गई। पत्नी के बार-बार विनती करने व समझाने पर भी गम्भीर ने एक न मानी। घर का सारा माल बेच देने पर भी उसकी वह आदत न गई। अब उसने अपनी पत्नी सुशीला के जेवर बेचने आरम्भ किए। यहाँ तक कि मार-पीट कर उसके जेवर छीन लिए और शराब में उड़ा डाले। बेचारी सुशीला क्या करती? उसका दुख बढ़ता ही गया। रूमा व रुकम का पढ़ना-लिखना भी बन्द हो गया। तन पर चिथड़े नज़र आने लगे। उनके खाने तक का प्रबन्ध करना कठिन हो गया। सुशीला पास-पड़ौस के लोगों का काम-धन्धा कर बच्चों का और अपना पेट पालती थी और उस मूर्ख पति गम्भीर की सेवा भी करती थी। सुबह-शाम भगवान से प्रार्थना करती कि हे प्रभु मेरे पतिदेव को सुमति दे, उनकी आदत बदल। इस तरह मुसीबत से दिन काटने लगी। अब जब कि घर में कुछ भी न बचा, गम्भीर को पेट की एक भयंकर बीमारी ने आ घेरा। साथ ही अत्यधिक शराब पीने के कारण दिन प्रतिदिन रोग बढ़ता ही गया। यहाँ तक कि वह दिन-रात शैया पर पड़ा-पड़ा कराहता रहता था। पति के रोग ने सुशीला पर और भी वज्रपात किया। हकीम, वैद्य, डाक्टर बुलाने के लिए उसके पास एक दमड़ी भी न थी। सुशीला बहुत चिन्तित हुई और उसने अपने दोनों बच्चों को पड़ौसी प्रधान के घर नौकर रखवा दिया और प्रधान जी से कुछ रुपया लेकर वैद्य बुलवाया। २० मील दूर एक स्थान से वैद्य आया। वैद्य ने कहा कि बेहद शराब पीने से इसकी आँतें और हाज़मा खराब हो गया है। यदि कुछ दिन यह मरीज़ और शराब पीता तो फिर इसका रोग असाध्य हो जाता। अभी मैं कुछ कह नहीं सकता, किन्तु घबराने की कोई बात नहीं। सुशीला की आँखों के सामने एकदम अंधेरा छा गया। हाथ जोड़ कर बोली—"वैद्य जी! मेरे पति को बचा दीजिए मैं आपकी सेवाओं का मूल्य मेहनत मज़दूरी करके चुकाऊँगी।"

वैद्य जी ने कहा—"यह मरीज़ प्रतिज्ञा करे कि अब अच्छा होने पर भविष्य में कभी भी शराब को नहीं छुएगा।"

इस पर गम्भीर ने चारपाई पर पड़े-पड़े प्रतिज्ञा की। वैद्य ने हर सम्भव प्रतिज्ञा के बाद रोगी को चंगा कर दिया। अब तो गम्भीर स्वस्थ था, किन्तु उसे आन्तरिक चिन्ता थी कि उसने अपनी पत्नी के वचनों को न माना, गरीबों को सता कर ब्याज लिया। शराब पीने की आदत डाली। यदि अपनी पत्नी का कहना मान लेता तो उसकी यह दशा न होती और न बच्चे भूखों मरते। वह सोचता, मैंने कभी श्रम नहीं किया, सदा बेकार रहा। केवल गरीबों को सता कर शराब पी। अन्याय का धन मेरे लिए विष साबित हुआ, जिससे मेरी यह गति हुई। इस प्रकार मन ही मन वह पश्चाताप करता तथा भगवान से हार्दिक प्रार्थना करता कि उसे शीघ्र स्वस्थ कर दे और प्रण करता कि वह भविष्य में कभी शराब नहीं पिएगा और कभी अन्याय नहीं करेगा। छः माह बाद वह चंगा हो गया। उसने अब श्रम करना आरम्भ कर दिया। अड़ोस-पड़ोस के आदमियों से ऋण ले कर ऊन खरीदा और सुशीला के साथ कताई-बुनाई आरम्भ कर दी। अपने बच्चों की नौकरी छुड़वा दी। कुछ ही दिनों में दंपति ने अथक परिश्रम से साहूकारों का ऋण चुकता कर दिया। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गए, आमदनी भी बढ़ती गई। रूमा व रुकम को फिर स्कूल भेजना आरम्भ कर दिया। विदुषी मां की गोद में पले दोनों बच्चे बड़े होनहार निकले और कालान्तर में पढ़-लिख कर विद्वान बन गए। इधर गम्भीर भी उत्तरोत्तर उन्नति करता गया और अपने परिश्रम और सद्बुद्धि से पुनः गाँव का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। अब गम्भीर ने अपने गाँव में गरीबों के ऋण की समस्या हल करने के लिए सहकारी ऋण समिति का संगठन किया और खुद उस समिति का अध्यक्ष बना। समिति से गाँव के गरीबों को उनके हल बैल, खेती, बीज आदि के लिए नाम मात्र के ब्याज पर रुपया कर्ज मिलने लगा। गाँव सुखी हो गया। गरीबों की दुआएँ गम्भीर के साथ हैं। धर्मभीरु सुशीला ने भी परमार्थ में हाथ बटाना आरम्भ कर दिया। अब वह अपने गाँव की महिलाओं की तरक्की के अनेक नए प्रयोग करने लगी और इस दिशा में उसे आशातीत सफलता मिली। आस-पास के गाँवों में आज गम्भीर और सुशीला की गृहस्थी उदाहरण बन चुकी है।

आदर्श ग्राम

यदुनन्दनप्रसाद सिन्हा

आज मेधी ग्राम में काफी चहल-पहल दिखाई पड़ रही है। सभी लोग चौपाल में जाने के लिए उत्सुक हैं। रामू १५-२० दिन से बीमार है। वह चारपाई पर पड़े-पड़े गाँव की चहल-पहल को देख रहा है, किन्तु उसे यह पता नहीं कि किस बात को लेकर गाँव में इतनी चहल-पहल है। भजू भी खाना खा कर चौपाल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने सोचा कि रामू से मिलता चलूँ। बचपन का साथी है, कहेगा एक दिन देखने भी नहीं आया। वह रामू के घर गया और रामू के हाल-चाल पूछने लगा।

रामू बोला—"क्या कहें भाई, गरीबों का जीवन भी कोई जीवन है। मैं चारपाई पर पड़ा हूँ, कोई देखनेवाला नहीं है। तुम्हारी भाभी हरि बाबू के खेत में काम कर के लौटती है, तब जो कुछ दे देती है, खा लेता हूँ। हाँ, कल इस गाँव में एक छोकड़ा आया था। लोग उसे 'डब्लू साहब' कहते हैं। वही बेचारा कुछ दवा दे गया जिससे आज बुखार कुछ कम मालूम पड़ता है।"

इस पर भजू बोला—"हाँ भैया, आज तक जितने भी अफ़सर आते थे, हम लोगों को डराया-धमकाया करते थे, लेकिन वह तो हम लोगों का अपना आदमी मालूम पड़ता है। आज उसने गाँव के सभी लोगों को बुलाया है और कहा है कि संध्या को चौपाल में खण्ड विकास अधिकारी आएँगे, अतः आप लोग अवश्य आएँ।"

यह सुन कर रामू बोला—"भाई तब तो देर हो रही है, तुम जाओ। लौट कर मुझे भी वहाँ के हाल-चाल सुनाना।"

भजू के पहुँचने से पहले ही वहाँ अनेक गाँववाले जमा थे। अनेक विकास कार्यकर्त्ता भी वहाँ मौजूद थे। झपरु महतो ने सब का स्वागत किया और बतलाया कि हम अपने गाँव की दशा सुधारने के लिए आज यहाँ जमा हुए हैं। गाँव की सड़क की दशा ठीक नहीं है। हम लोग शौच के लिए जहाँ मर्ज़ी हो बैठ जाते हैं। इस कारण हम लोगों को नाना प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। खण्ड विकास अधिकारी ने भी बतलाया कि जब तक आप लोग आपस में मिलकर अपनी भलाई की बात नहीं सोचेंगे, तब तक आप की यही दशा बनी रहेगी। यदि आप अपने पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं तो सरकार भी आपके साथ है। यदि सड़क अच्छी रहेगी, साफ़ रहेगी तो आप को ही लाभ है। इसीलिए कल श्रमदान द्वारा सड़क की सफ़ाई तथा मरम्मत का कार्यक्रम बनाया गया है। आशा है इस शुभ कार्य में आप सब का सहयोग मिलेगा।

इस के बाद समाज शिक्षा संगठकर्त्ता महोदय ज्यों ही बोलने के लिए खड़े हुए कि स्थानीय पंडित जी ने सवाल किया—"महाराज, जब सरकार गंगा के पुल और कोसी बाँध जैसे बड़े बड़े काम कर रही है, फिर इस सड़क को साफ करवा कर इसकी मरम्मत क्यों नहीं करवा देती? हम मेहतर थोड़े ही हैं जो पाखाना साफ़ करने जाएँ?"

समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता ने जवाब दिया—"पंडित जी यह बतलाइए कि जब आप का शरीर गंदा हो जाता है तो आप किस धोबी से साफ़ करवाते हैं?"

पंडित जी बोले—"शरीर के मामले में धोबी का प्रश्न नहीं उठता। यह मेरा शरीर है, मैं स्वयं इसे पवित्र कर लेता हूँ। नहीं तो भगवान की पूजा किस प्रकार होगी?"

संगठनकर्त्ता महोदय बोले — 'यह सड़क भी आप की ही है। सड़क गन्दी रहने से आप का ग्राम गन्दा रहेगा। इस दशा में आप अपने को किस प्रकार पवित्र रख सकते हैं? जहाँ तक सरकारी सहायता का सवाल है, सरकार तो आप से ही पैसा ले कर खर्च करती है। बड़ी-बड़ी योजनाओं में अधिक पैसे की आवश्यकता होती है जो जनता एक साथ नहीं दे सकती। अतः सरकार को ही खर्च करना पड़ता है। सरकारी सहायता तो अन्धे को लाठी का सहारा है। हमारा प्रयत्न तो यह रहना चाहिए कि हम अपने पैरों पर स्वयं खड़े हों। लाठी की सहायता से हम कब तक चल सकते हैं? एक न एक दिन वह सहारा छिन जाएगा और हम असहाय हो जाएँगे। किन्तु जिसको अपने पैरों का भरोसा है, वह कभी भी असहाय नहीं होगा। इसके साथ-साथ हम जितना सरकारी पैसा खर्च करेंगे, उतने ही अधिक कर हम को देने पड़ेंगे। पुरोहितों का तो यह काम होना चाहिए कि भलाई के कामों में वे सब से आगे रहें। समाज कल्याण के लिए उन्हें दधीचि बनना चाहिए। यदि सारा शरीर गन्दा है, तो सिर में साबुन मलने से क्या लाभ?"

पंडित जी बोले—"ठीक कहते हैं, महाराज! कल हम सब के सब सड़क की सफ़ाई करेंगे।"

भजू भी पीछे न रहा—"डब्लू साहब भी यही कहते थे, मैं भी तैयार हूँ।"

[शेष पृष्ठ २६ पर]

अमूल्य रहस्य

एम० माधव राव

वह गाँव का बड़ा-बूढ़ा था। अन्य बड़े-बूढ़ों की तरह उस को भी जीवन के अनुभवों ने बुद्धिमान बना दिया था। मैं भली-भाँति जानता था कि गाँव 'क' में कोई भी काम बग़ैर उसकी सलाह और आशीर्वाद लिए शुरु नहीं किया जा सकता। इस लिए सन्तति नियमन पर उसके विचार जानने के लिए मैं उसके घर गया।

अधिकारियों ने गाँव में सन्तति नियमन की जो योजना चालू करने का फैसला किया था, उसके सम्बन्ध में वह वृद्ध व्यक्ति सुन चुका था। इसलिए मैं उस व्यक्ति से बड़ी सावधानी से मिलने गया क्योंकि उसके साथ बातचीत शुरु करने से पूर्व मैं इस योजना के सम्बन्ध में उस व्यक्ति की राय जान लेना चाहता था। इस लिए मैं इसी प्रतीक्षा में रहा कि बातचीत की शुरुआत उसी की तरफ़ से हो। परन्तु वह व्यक्ति भी काफ़ी होशियार था। उसने मुझ से गाँव में आने का उद्देश्य पूछा। वह यह जानना चाहता था कि मेरा काम मालगुज़ारी इकट्ठा करना था या आबकारी—या कि मैं किसी शिक्षा सम्बन्धी काम के लिए वहाँ गया था।

मैंने उस वृद्ध व्यक्ति से कहा—"सच तो यह है कि मेरे आने का इनमें से कोई भी कारण नहीं है। मैं एक विशेष काम से यहाँ आया हूँ जिसका सम्बन्ध ग्रामवासियों के कल्याण से है; यही नहीं, इस बात का सम्बन्ध गाँव की भावी पीढ़ी के कल्याण से भी है। यदि अपने कार्य में मैं सफल हो गया तो बच्चों को पहले से अधिक खाना, ताज़ा दूध, फल और अच्छे कपड़े मिलने लगेंगे। बस, इसमें थोड़ा-सा समय लगेगा और इसके लिए ग्रामवासियों के सहयोग की ज़रूरत है।" मैंने उस व्यक्ति को शुरू में यह नहीं बताया कि यह सब हमें कैसे और कहाँ से प्राप्त होगा।

मेरी बातें सुनकर उस व्यक्ति में जिज्ञासा पैदा हुई। उसने मुझ से पूछा—"क्या सरकार एकदम इतनी अमीर हो गई है कि अपने नागरिकों में कपड़े और खाना बाँट रही है?"

"नहीं", मैंने कहा—"सरकार कैसे अमीर बन सकती है जब तक पहले उसके नागरिक अमीर न बन जाएँ। अगर नागरिक अमीर होंगे तो वे कर आदि के रूप में सरकार को अधिक रुपया देंगे। सरकारी खज़ाना भरा होगा तो सरकार भी देश के ग़रीब लोगों को अपनी दशा सुधारने के लिए सहायता दे सकेगी।"

इस पर उस वृद्ध व्यक्ति ने पूछा—"ऐसी भी भला वह क्या चीज़ है जिसमें बग़ैर सरकारी सहायता के गाँववाले पहले से अमीर हो जाएँगे, उनके बच्चों को बढ़िया खाना मिलेगा और सबको पहनने को अच्छे कपड़े मिलेंगे? यह सब मेरे लिए एक पहेली है जिसका उत्तर आप ही मुझे दे सकते हैं। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया।"

मैं अब और सतर्क हो गया क्योंकि नाज़ुक क्षण आ गया था। अब मुझे जो कुछ भी कहना था, काफ़ी सोच-समझ कर कहना था। यह बात भी साफ़ थी कि जब तक यह व्यक्ति मेरा साथ नहीं देगा, गाँववाले मेरे साथ नहीं चलेंगे और मैं गाँव में कुछ भी न कर सकूँगा। इस लिए सीधे-साधे ढंग से अपनी योजना सामने रखने की बजाए मैंने दूसरा रास्ता अपनाया।

घर के सहन में नींबू के दो काफ़ी बड़े-बड़े पेड़ थे—उन पर नींबू भी लगे हुए थे। नींबू काफ़ी बड़े थे। गाँव में इतने बड़े नींबू मुझे और कहीं दिखाई नहीं पड़े थे। यही नहीं, आसपास के किसी गाँव में भी इतने बड़े नींबू नहीं थे। इन पेड़ों की तरफ़ देखते हुए मैंने वृद्ध व्यक्ति से पूछा—"आप इतने बड़े-बड़े और अच्छे नींबू कैसे पैदा कर लेते हैं, जबकि पास-पड़ौस में कहीं भी इनकी बराबरी के नींबू पैदा नहीं होते।"

मेरी बात सुनकर वह वृद्ध व्यक्ति गर्व से फूला नहीं समाया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान खेलने लगी। उसने कहा—"यह एक रहस्य है और मुझे इस रहस्य को किसी ऐसे व्यक्ति को बताने में आपत्ति नहीं है जो इस तरीके का इस्तेमाल करना चाहे।" मैं समझ गया कि वृद्ध व्यक्ति मुझे अब क्या बताएगा।

वहाँ बैठे अन्य लोगों और मुझको सम्बोधित करते हुए उस व्यक्ति ने कहा—"नींबू की अच्छी पैदावार के दो रहस्य हैं—ठीक समय पर अच्छी खाद का प्रयोग, दूसरे उस समय की इन्तज़ार में रहना जबकि तीस-चालीस के गुच्छों में फल आने शुरु होते हैं।"

मैंने प्रश्न किया—"उन सभी नींबुओं को इतना बड़ा क्यों न होने दिया जाए, जितने बड़े अब आपके नींबू हैं?"

"नहीं, यह तो असम्भव है। अगर सब नींबू लगे रहने दिए जाएँ, तो वे इतने बड़े नहीं हो सकते। उपयुक्त समय पर गुच्छों की छटनी की जाती है ताकि बचे हुए नींबुओं को बढ़ने का पूरा अवसर मिलता रहे। यह सब 'फ़ासला' रखने की बात है। पशुओं और मनुष्यों पर भी यही बात लागू होती है।"

जब मैंने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने अपने परिवार का भी नियोजन किया है, तो उसने "हां" में उत्तर दिया। मुझे उस व्यक्ति के बेटे से मिलने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। वह युवक

उस व्यक्ति के बुढ़ापे की लकड़ी था। उस युवक पर घरवालों को गर्व था, उस ग्राम के वासियों को गर्व था। ज़रूरत पड़ने पर यह युवक देश के लिए सब कुछ करने की क्षमता रखता है; वह देश का सच्चा नागरिक है। उस वृद्ध व्यक्ति की बेटी का विवाह दो वर्ष पूर्व एक कुलीन परिवार में हुआ था। वृद्ध व्यक्ति और उसकी वृद्ध पत्नी, दोनों को अपनी स्वस्थ और बलवान सन्तान पर गर्व था। वृद्ध व्यक्ति ने अपनी सन्तान को उस वातावरण में पाला था जिसमें हर विवाहित दम्पति अधिक से अधिक सन्तान उत्पन्न करने में विश्वास रखता है। वृद्ध व्यक्ति भली-भाँति जानता था कि बड़ा परिवार होने से किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वह ज़माने गए जब बड़े-बड़े परिवार होना आवश्यक था—अब समय बदल गया है। अब तो परिवार छोटा होना चाहिए। इस बात पर तो सभी ज़ोर देते हैं कि हर नया आने वाला प्राणी अपने साथ दो हाथ लाता है परन्तु लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि हर नवागन्तुक का एक मुंह भी होता है। ऐसे परिवार में जहाँ पहले ही भुखमरी हो, एक नए प्राणी का आना हालत को और भी खराब कर देता है। हर माता-पिता को उतनी सन्तान पैदा करनी चाहिए जितनी का पालन-पोषण वे अच्छी तरह कर सकते हैं। सन्तान को पूरा खाना मिले, जिससे उनका शरीर हृष्ट-पुष्ट हो और वे परिवार के लिए पर्याप्त धन कमा सकें और इस प्रकार राष्ट्र की कमाई में भी वृद्धि हो।

उपर्युक्त सीधे-सादे शब्दों में वृद्ध व्यक्ति ने वह सब बता दिया जो जन्म-निरोध और परिवार नियोजन की आधुनिक पद्धतियों में है। क्या उसे किसी ने यह सब पढ़ाया था? नहीं, यह सब ज्ञान उसे उम्र बढ़ने के साथ-साथ प्राप्त हुआ था—मनुष्यों, पशुओं और पेड़-पौधों को देख कर मिला था।

मुझे गाँव में उस दिन जो कुछ करना था, उस वृद्ध व्यक्ति ने खुद ही कर दिया। उसने मेरा काम आसान कर दिया। अब मेरे लिए केवल उन लोगों की सूची तैयार करने का काम बाकी रह गया था, जो ठीक प्रकार से सन्तति नियम न करना चाहते थे। मेरी सूची पूरी थी और गाँव के हर बुद्धिमान व्यक्ति के आशीर्वाद के साथ इस योजना को आरम्भ कर दिया गया।

अब सन्तति नियमन योजना पर ग्रामवासियों और अधिकारियों में कोई मतभेद नहीं था।

★

आदर्श ग्राम—[पृष्ठ २७ का शेषांश]

अन्य लोगों ने कहा—"हम भी तैयार हैं।"

सवेरे खण्ड विकास अधिकारी साहब के साथ पंडित जी तथा गाँववाले गाँव की सफ़ाई में लग गए। पंडित जी के चेहरे पर एक अजब उत्साह था, काम करने की एक अजब धुन थी। बीच-बीच में नारे भी लगाए जाते थे—'गन्दगी हमारा दुश्मन है!" "सफ़ाई स्वर्ग है", "हमारा गाँव आदर्श बनेगा।" देखते-देखते चार घंटे के अन्दर सारा गाँव साफ़ नज़र आने लगा।

सन्ध्या को श्रमदान द्वारा सड़क बनाने का कार्यक्रम रहा। उसी उत्साह तथा उमंग के साथ लोगों ने साथ दिया। थोड़ी ही देर में काफ़ी लम्बी सड़क तैयार हो गई।

खण्ड के कार्यकर्त्ताओं की सहायता से तथा पंडित जी के प्रयत्न से गाँव में समाज शिक्षा केन्द्र, सहयोग समिति, मुर्गी पालन-केन्द्र आदि स्थापित किए जा चुके हैं। ६ महीने के अन्दर प्रत्येक परिवार ने फल के १०-१० पेड़, खाद का १-१ गड्ढा, १-१ सोखता गड्ढा तथा तरकारी का १-१ बाग लगाया। आदर्श गाँव होने के नाते खण्ड की ओर से इसे एक रेडियो सेट भी दिया गया है जो चौपाल में रखा गया है। यहाँ बैठ कर गाँववाले देश-विदेश के समाचार सुनते हैं। रामू भी अच्छा हो गया है और भजू ने भी समाज शिक्षा केन्द्र में नाम लिखा लिया है। आसपास के लोग इस गाँव को देखने के लिए आते हैं और कहते हैं—"धन्य है यह गाँव और धन्य हैं यहाँ के लोग।"

★

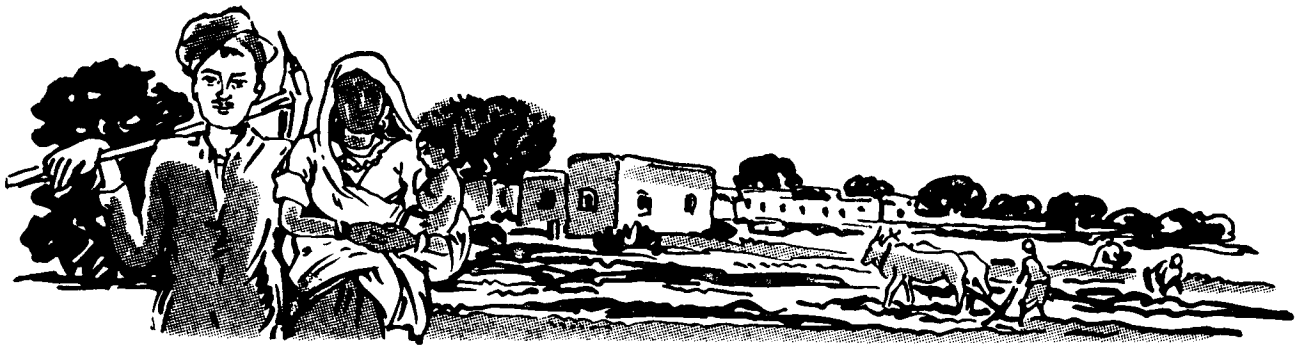

प्रगति के पथ पर

गाँवों में बिजली लगाने की दीर्घकालीन योजना

भारत सरकार गाँवों में बिजली लगाने की एक दीर्घकालीन योजना तैयार कर रही है। यह योजना दूसरी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होकर २० साल तक चलेगी।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य गाँवों में बिजली लगाने के लिए आवश्यक मशीनों, उपकरणों तथा साज़-सामान का अनुमान लगाना तथा बाद की योजना-अवधियों के लिए वित्तीय अनुमान लगाना है।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग ने इस काम के लिए एक निर्देशालय स्थापित किया है जो इन योजनाओं की पूर्ति के लिए उपयुक्त एवं कम लागत के डिज़ाइन तैयार करेगा। यह निर्देशालय तत्सम्बन्धी टैकिनकल आँकड़े एकत्र कर रहा है तथा राज्यों की बिजली-सप्लाई योजनाओं का वित्तीय अध्ययन भी कर रहा है।

दूसरी योजना की अवधि में छोटे कस्बों और गाँवों में बिजली लगाने के लिए ७५ करोड़ रुपए रखे गए हैं। यह रकम उस ४ अरब २७ करोड़ रुपए की कुल राशि का एक अंश है, जो समस्त देश की ४४ विद्युत योजनाओं के लिए दी गई है। आशा है कि दूसरी योजना की अवधि में १० हज़ार से अधिक गाँवों और लगभग ५०० छोटे कस्बों में बिजली लगाई जाएगी।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने छोटे कस्बों और गाँवों में बिजली सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार कर रोज़गार बढ़ाने के लिए १७ राज्यों को ऋण के रूप में ८ करोड़ २७ लाख ५२ हज़ार ३०० रुपए मंजूर किए थे। प्रथम योजना की अवधि के अन्त तक २० हज़ार तथा इससे अधिक आबादी वाले ५८५ मध्यम तथा बड़े कस्बों में से ५५० में बिजली लगाई गई। १० हज़ार और २० हज़ार के बीच की जनसंख्या के ८५६ कस्बों और गाँवों में से ३५० में बिजली लगाई गई।

चालू वित्तीय वर्ष में विद्युत सम्बन्धी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए ६ करोड़ २० लाख रुपए की व्यवस्था की गई है। कई राज्यों ने दूसरी योजना की अवधि में गाँवों में बिजली लगाने की योजनाएँ प्रस्तुत की हैं, जिन पर विचार हो रहा है।

१९५७-५८ में २८३ नए विस्तार सेवा खण्ड

सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने १९५७-५८ में २८३ नए राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने का निर्णय किया है। ये खण्ड आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, जम्मू और काश्मीर, मणिपुर, त्रिपुरा तथा अंडमान और निकोबार द्वीपों में खोले जाएंगे।

विभिन्न राज्यों में उनकी संख्या इस प्रकार होगी—आन्ध्र प्रदेश—२५, असम—८, बिहार—३८, बम्बई—४०, मध्य प्रदेश—३०, मद्रास—१५, मैसूर—१०, उड़ीसा—१८, पंजाब—२५, केरल—८, उत्तर प्रदेश—१८, पश्चिम बंगाल—२०, राजस्थान—१४, जम्मू और काश्मीर—१०, मणिपुर—१, त्रिपुरा—१, अण्डमान—१ और निकोबार—१।

इन २८३ खण्डों में पहली अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा, पर तुरन्त आवश्यक प्रारम्भिक कामों के लिए १०,००० रुपए तक की राशि व्यय की जा सकेगी।

योजना क्षेत्रों में सहकार को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय विस्तार-सेवा और सामुदायिक विकास-योजनाओं के क्षेत्रों में विविध कार्यों में लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों का संगठन किया जा रहा है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा के काम से लोगों में स्वतः सहकार की प्रवृत्ति जागृत हो रही है और सहकारी समितियों के संगठन में यह बड़ी सहायक है। विकास-योजना क्षेत्र के हर परिवार के एक न एक सदस्य को किसी न किसी समिति का सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

इस साल की पहली तिमाही में विकास योजना क्षेत्रों में ३३ हज़ार नई सहकार समितियाँ स्थापित की गईं और १६,८३,००० नए सदस्य बनाए गए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना की सब से बड़ी विशेषता होगी किसानों की सहकार समितियाँ। योजना में कहा गया है कि हर सामुदायिक विकास क्षेत्र या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में सहकारी खेती की आज़माइश अवश्य करनी चाहिए। सहकारी खेतों को देख कर किसान सहकारी खेती और दूसरे सहकारी उद्योगों का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।

इसके अलावा सहकारी संस्थाएँ रुपया कर्ज़ देने का काम भी अपने हाथ में ले सकती हैं। यह प्रयत्न किया जा रहा है कि हर गाँव में एक बहूद्देशीय सहकारी संस्था हो जिससे गाँव के हर व्यक्ति को आवश्यकता पड़ने पर कर्ज़ मिल सके। कर्ज़ लेने के लिए कर्ज़ लेनेवाले के पास किसी प्रकार की सम्पत्ति का होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। केवल यह निश्चय हो जाने पर कि कर्ज़ का सदुपयोग होगा, कर्ज़ मिल जाना चाहिए।

विकास-योजना क्षेत्रों में सहकार को बढ़ाने का दायित्व, खण्ड विस्तार अधिकारियों (सहकार) को सौंपा जाएगा। इन समय इस तरह का काम सिखाने के ८ केन्द्र हैं। इनमें ३६ अफसर अब तक काम सीख चुके हैं और ५२८ इस समय सीख रहे हैं। सहकार को बढ़ावा देने का दायित्व आ जाने से ग्राम सेवकों का काम और भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। ग्राम सेवक न केवल सहकार की उपयोगिता लोगों को समझाएगा बल्कि वह गाँववालों और सहकारी विभाग के बीच की कड़ी का काम भी करेगा।

फसलों की नमूने की पड़ताल

सामुदायिक विकास-योजना, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास क्षेत्रों में खास-खास फसलों की उपज के बारे में जो नमूने की पड़ताल चल रही थी, वह इस साल भी चलती रहेगी। यह काम इस साल पश्चिम बंगाल और तिरुवांकर-कोचीन में भी होगा। पड़ताल, हर राज्य के कुछ चुने हुए क्षेत्रों में खास-खास फसलों, जैसे औस और अमन, कन्नी और कुम्भम तथा खरीफ तक ही सीमित रहेगी।

पिछले दो सालों में विभिन्न राज्यों में नमूने की जो पड़ताल हुई, उसका परिणाम उत्साहवर्धक है। इस साल नमूने के खण्डों में ग्राम सेवक फसल की पड़ताल करेंगे और विस्तार अधिकारी इसकी निगरानी करेंगे। ग्राम पंचायतों के सदस्यों और अन्य ज़िम्मेदार ग्रामीणों का भी इस काम में सहयोग लिया जाएगा और फ़सल की कटाई और उपज की तुलाई भी ऐसे ही लोगों के सामने होगी।

हर चुने हुए खण्ड के ग्राम सेवक को नाप-जोख के लिए आवश्यक सामान दिया जाएगा।

पश्चिम बंगाल में औस और अमन की चावल की फ़सल की पड़ताल के लिए सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के १५ खण्डों को चुना गया है। इसी प्रकार तिरुवांकुर-कोचीन के ७ विकास खण्डों में कन्नी और कुम्भम फसलों की पड़ताल होगी। अगली कटाई के दिनों में ये परीक्षण शुरू होंगे।

पंचायतों को और प्रभावशाली बनाने का प्रयत्न

सामुदायिक विकास में पंचायतें और अधिक योग दे सकें, इसके लिए इनके साधनों का पूरा-पूरा उपयोग किया जाएगा। स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की कार्यकारिणी समिति की हाल की बम्बई-बैठक में निर्णय किया गया कि सामुदायिक विकास-योजना और विस्तार सेवा क्षेत्रों का विकास-कार्य जहाँ तक संभव हो, पंचायतों के हाथों ही कराया जाए। इस समय पंचायतों आदि स्थानीय संस्थाओं के विकास के लिए जो भिन्न-भिन्न सरकारी महकमे काम कर रहे हैं उनके काम में समन्वय करने के लिए राज्यों के स्थानीय स्वायत्त शासन मन्त्रियों को राज्यों की विकास समितियों को सदस्य बनाने का सुझाव दिया गया है। भिन्न-भिन्न विभागों के प्रमुख अधिकारियों की जो समितियाँ होती हैं और जिनका अध्यक्ष प्रायः विकास आयुक्त होता है, उनमें पंचायतों के निर्देशकों (डाइरेक्टरों) को लेने की सिफ़ारिश की गई है। इसी प्रकार जिलों, तहसीलों और खण्डों के स्वास्थ्य तथा स्थानीय स्वायत्त शासन अधिकारियों को भी भिन्न-भिन्न समितियों में लेने का सुझाव दिया गया है।

पंचायतों को विकास कार्य की ज़िम्मेदारी देने का यही उद्देश्य है कि ये गाँवों की भलाई और उन्नति के हर काम को सम्हालना सीख सकें।

मार्च १९५६ के अन्त तक विकास-योजना क्षेत्रों में ११,४५१ पंचायतें और दूसरी कानूनी संस्थाएँ स्थापित की जा चुकी हैं। इनके अलावा २४,८२५ ग्राम परिषदें, विकास मण्डल आदि ऐसी संस्थाएँ स्थापित हो चुकी हैं जिन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है।

गाँवों में अच्छे मकान बनाने का कार्यक्रम

गाँवों में मकानों की उन्नति के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना में १० करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस रकम से कुछ गाँव बसाए जाएँगे, जिनमें नमूने के नए मकान बनाए जाएँगे। ये गाँव यथासम्भव सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के क्षेत्रों में बसाए जाएँगे।

गाँवों में मकान बनाने का कार्यक्रम ग्रामवासियों के सहयोग से पूरा किया जाएगा। इसके लिए उनसे आर्थिक सहायता ली जाएगी और श्रमदान करने को कहा जाएगा। भावी पंचवर्षीय योजनाओं को कार्यान्वित करते समय नए बसाए गए गाँव आदर्श का काम देंगे।

गाँवों में मकान बनाने का कार्यक्रम योजना कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जाएगा। इस काम के लिए प्रत्येक खण्ड में एक ओवरसीयर नियुक्त किया जाएगा। मकान निर्माण से सम्बन्धित प्राविधिक कर्मचारी अपनी राज्य सरकारों की देखरेख में काम करेंगे तथा इस सम्बन्ध में केन्द्रीय निर्माण, आवास एवं पूर्ति मन्त्रालय से सलाह मशविरा लेते रहेंगे।

'केन्द्रीय ग्राम मकान शाखा' ने कई प्रकार की योजनाएँ बनाई हैं और इस सम्बन्ध में एक प्रारूप प्रकाशित किया है। दस गाँवों के लिए विस्तृत योजनाएँ तैयार की गई हैं और गुड़गाँवा खण्ड में 'शामपुर' नामक नमूने का गाँव बनाने का काम शुरू भी हो चुका है।

ग्राम मकान योजना एक तरह से आत्मनिर्भरता का कार्यक्रम है। इसमें शिक्षा और निर्देशन का विशेष योग रहता है। योजना अधिकारियों का काम गाँववालों को आदर्श मकान बनाने की प्रेरणा देना है और ईंटें, चूना आदि मुहैया करने के लिए सहकारी समितियाँ बनाने में उनका सहयोग प्राप्त करना है।

अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने का काम

सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्रों में अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने के अनेक प्रयत्न किए जा रहे हैं। जिन संस्थाओं में खादी बनाने का काम पहले से ही हो रहा है, उनसे सामुदायिक विकास-योजना क्षेत्रों के आसपास के इलाकों में अपनी शाखाएँ खोलने के लिए कहा जा रहा है। जहाँ इस तरह की संस्थाएँ नहीं हैं, वहाँ योजना-अधिकारी नई संस्थाएँ खोलने में सहायता दे रहे हैं। अम्बर चरखा कार्यक्रम को चालू करने के लिए इन संस्थाओं को 'राज्य खादी एवं ग्राम उद्योग मण्डलों' से आवश्यक सहायता मिलेगी। जिन राज्यों में इस तरह के मण्डल नहीं हैं, वहाँ अखिल भारतीय मण्डल सहायता देगा।

अम्बर चरखे को लोकप्रिय बनाने के लिए एक आवश्यक कदम यह उठाया जा रहा है कि २५ प्रारम्भिक योजनाओं में 'परिश्रमालय' खोलने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग मण्डल ने योजना क्षेत्रों के लोगों को अम्बर चरखे का प्रशिक्षण देने के लिए, निकट के विद्यालयों में प्रबन्ध किया है। योजना कर्मचारियों की सहायता से मण्डल शिक्षार्थियों का चुनाव करेगा। प्रशिक्षण देने के बाद, इन शिक्षार्थियों को अम्बर चरखा कार्यक्रम से सम्बद्ध संस्थाओं में काम दिया जाएगा। आशा है कुछ समय बाद सामुदायिक विकास मन्त्रालय, अम्बर चरखा कार्यक्रम के लिए शिक्षार्थियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगा।

भारत की एकता का निर्माण

(सरदार वल्लभभाई पटेल)

भारत की एकता के निर्माता सरदार पटेल के २७ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाषणों का यह संग्रह हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

१५ अगस्त १९४७ को जब भारत स्वाधीन हुआ, तब भारत में ९ प्रान्तों के अतिरिक्त ५८४ रियासतें थीं। इन ५८४ रियासतों में केवल हैदराबाद, काश्मीर और मैसूर यही ३ रियासतें ऐसी थीं, जो आकार और आबादी के लिहाज से पृथक् राज्यों का रूप धारण कर सकती थीं। अधिकांश रियासतें बहुत छोटी थीं और २०२ रियासतें तो ऐसी थीं, जिनका क्षेत्रफल १० वर्गमील से अधिक नहीं था। उस पर भी ये सब की सब रियासतें शासन की पृथक् इकाइयां बनी हुई थीं।

भारत के प्रथम उपप्रधान मन्त्री सरदार वल्लभभाई पटेल ने दो वर्षों के भीतर ही सम्पूर्ण भारत को एक बना दिया। उक्त ५८४ रियासतों का ५,८८,००० वर्गमील क्षेत्रफल और १० करोड़ के लगभग आबादी इस अल्पकाल ही में भारत के आन्तरिक भाग बन गए—उसी तरह, जिस तरह के अन्य राज्य हैं। हैदराबाद, मैसूर और काश्मीर को पृथक्-पृथक् और अन्य कितनी ही रियासतों के संघ बनाकर उन्हें 'बी' श्रेणी के राज्य बना दिया गया। सैंकड़ों छोटी-छोटी रियासतें आसपास के बड़े राज्यों में मिला दी गईं। परिणाम यह हुआ कि भारत भर में पूर्ण प्रजातन्त्र स्थापित हो गया और सन् १९५२ का निर्वाचन समूचे देश में बालिग मताधिकार के आधार पर समान रूप में हुआ।

इस नवीन भारत की एकता के निर्माण में सरदार पटेल के इन २७ भाषणों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। स्वाधीनता के पहले २॥ वर्षों की भारतीय समस्याओं पर इन भाषणों में जो प्रकाश डाला गया है, उसका महत्व ऐतिहासिक है। ये भाषण देश के लिए चिरकाल तक प्रकाश-स्तम्भ का काम देते रहेंगे।

प्रचार के उद्देश्य से इस अत्यन्त महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक ग्रन्थ का मूल्य बहुत कम रक्खा गया है। पुस्तक में ३५० बड़े आकार के पृष्ठों के अतिरिक्त १६ पृष्ठ सरदार पटेल के सुन्दर चित्र और नवीन भारत का एक मानचित्र भी दिया गया है।

ग्रन्थ का मूल्य ५) रु० : डाक व्यय अलग।

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

मिनिस्ट्री ऑफ़ इन्फ़र्मेशन एण्ड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ़ इण्डिया,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

Regtd. No.D-28

उत्कृष्ट प्रकाशन

महात्मा गान्धी

महात्मा गान्धी की कहानी—चित्रों में

यह चित्रमय कहानी काल क्रम अनुसार है और महात्मा गान्धी के अलौकिक जीवन के महत्वपूर्ण अध्यायों में बँटी हुई है। यह आशा की जाती है कि इस समय तक उनके जीवन तथा कार्य-कलाप के सम्बन्ध में जो प्रचुर सामग्री एकत्र हुई है यह प्रकाशन उसका उपयुक्त चित्रमय पूरक प्रमाणित होगा।

सादा जिल्द १०) रु०

सिल्क जिल्द १५) रु०

स्वाधीनता और उसके बाद—

जवाहरलाल नेहरू के भाषण

प्रधान मंत्री नेहरू के १९४६ से १९४९ तक विशेष अवसरों पर दिए गए ६० महत्वपूर्ण भाषण। स्वाधीनता, महात्मा गान्धी, साम्प्रदायिकता, काश्मीर, हैदराबाद, शिक्षा, उद्योग, भारत की वैदेशिक नीति, भारत और राष्ट्र मण्डल, भारत और विश्व, आदि विषयों पर। सभी दृष्टियों से संग्रहणीय और पठनीय ग्रन्थ। रु० ५)

भारत दर्शन

(चित्रों में)

भारत की कहानी दिग्दर्शित करने वाले विविध चित्रों का अनमोल संग्रह है। देश के निवासी, पशु, वनस्पति, प्राकृतिक रचना, आदि का विहंगावलोकन। भारतीय जीवन, विचारधारा, परिस्थिति, प्राकृतिक दृश्य इत्यादि, विभिन्न पहलुओं का स्थलानुरूप समावेश।

रु० ७॥)

भारतीय कला का सिंहावलोकन

मोहन्जोदरो के समय से लेकर भारत के प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक कला के ३७ रंगीन और १०० एकरंगे चित्रों का संग्रह। रु० ६॥)

भारत की एकता का निर्माण

अगस्त १९४७ से दिसम्बर १९५० तक भारत के इतिहास के तेजस्वी काल में दिए गए सरदार वल्लभ भाई पटेल के २७ महत्वपूर्ण भाषण जो स्वतन्त्र भारत के निर्माण का यथार्थ प्रमाण हैं, कई दुर्लभ चित्रों सहित।

रु० ५)

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

ओल्ड सेक्रेटेरिएट, दिल्ली—८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8.